



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 8 सितम्बर, 1975

भाद्रपद 17, 1897 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3133/सत्रह-वि--20-75
लखनऊ, 8 सितम्बर, 1975

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था विधेयक, 1975 पर दिनांक सितम्बर, 1975 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, 1975)
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास तथा विनियमन के लिए एक निगम, प्राधिकारियों तथा संगठनों की स्थापना और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

(भारत गणराज्य के छठीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, कंट्रोलमेंट क्षेत्रों को छोड़कर, होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे और निम्न-लिखित उपबन्धों के सम्बन्ध में निम्न-लिखित दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारम्भ

परिभाषाएं

2--इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(1) "मल कूप" के अन्तर्गत कोई ऐसी तलछट टंकी या अन्य टंकी भी है जो किसी भू-गूहादि से निकलने वाले दूषित पदार्थ को ग्रहण करने या उसके निस्तारण के लिए हो;

(2) "संचारण पाइप" का तात्पर्य किसी पाइप-या समस्त फिटिंग सहित ऐसे पाइप-तंत्र से है जिसके द्वारा प्रनाड (मन) से किसी भू-गूहादि को जल सम्भरित किया जाता हो और इसके अन्तर्गत संयोजक पाइप, सेवा पाइप, मीटर या अन्य फिटिंग भी है;

(3) "संयोजक पाइप" का तात्पर्य जोड़ चूड़ी (फेकल) से रोक-टोटी तक, ऐसे जल के पाइप से है जो, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम के प्रनाड से सेवा पाइप को जोड़ता हो;

(4) "उपभोक्ता" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम से किसी प्रकार के जल सम्भरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का फायदा मिलता हो;

(5) "घरेलू सीवेज" का तात्पर्य निवास-स्थानों, बोर्डिंग तथा लाजिंग हाउसों, छात्रावासों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों से जो किसी व्यापार या उद्योग के भाग न हों, निकलने वाले और व्यक्तिगत तथा सामान्य शान्ति कारक कलापों से जैसे बि पाषाणी पीने, नहाने, प्रक्षालन, धोने तथा खाना पकाने से उत्पन्न उच्छिष्ट जल से है;

(6) "नाली" के अन्तर्गत मल नाला, सुरंग, पाइप, खाई (डिच), मल नाली (गटर) या जल कूट्या (चैनल) अथवा जल कुण्ड (सिस्टर्न), पत्रा टंकी, मल टंकी (सेप्टिक टैंक) अथवा कोई अन्य वस्तु जो सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल, कूड़ा-करकट, उच्छिष्ट जल या अवशेष जल को वहां ले जाने अथवा शोधन के लिये हो, तथा इसके अन्तर्गत कोई पुलिया, संवातन नाल या पाइप अथवा अन्य उपकरण या फिटिंग, जो ऐसी नाली से जुड़ी हो, और कोई निष्कासक (इंजेक्टर), संदातित वायु प्रनाड, मुहरबन्द सीवेज प्रनाड और कोई निक्षेप मीनरी अथवा साधित्र भी है, जो किसी स्थान से सीवेज या दुर्गन्धित पदार्थ को उठाने, एकत्र करने, निकालने या हटाने के लिये हो;

(7) "जोड़ चूड़ी" का तात्पर्य ऐसी जोड़ चूड़ी से है जो संयोजक पाइप को प्रनाड से जोड़ती हो;

(8) "महा प्रबन्धक" का तात्पर्य धारा 20 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त जल-संस्थान के महा प्रबन्धक से है;

(9) "जल संस्थान" का तात्पर्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारी से है जिसे एक या अधिक स्थानीय क्षेत्रों में इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिए धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाय;

(10) "स्वायत्त शासन अभिव्यंजन विभाग" और "सामुदायिक विकास विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन इन नामों के विभागों से है;

(11) "स्थानीय क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो किसी स्थानीय निकाय की अधिकारिता के अन्तर्गत हो;

(12) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, क्षेत्र समिति या गांव सभा से है;

(13) "प्रनाड" का तात्पर्य, यथास्थिति, स्थानीय निकाय, जल संस्थान या निगम द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिये सम्भरण से भिन्न जल के सामान्य सम्भरण के लिए विद्यमान गये पाइप से है और इसके अन्तर्गत ऐसे पाइप के सम्बन्ध में प्रयुक्त कोई साधित्र भी है;

(14) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से है;

(15) "निगम" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश जल निगम से है;

(16) किसी भू-गूहादि के सम्बन्ध में, "अध्यासी" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं--

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गूहादि के सम्बन्ध में स्वामी को तत्सम फिराया या उसका कोई भाग देता हो अथवा उसका बेनवार हो;

- (ख) कोई स्वामी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो;
- (ग) ऐसे भू-गृहादि का किरायेदार जो किराया देने से मुक्त हो;
- (घ) कोई लाइसेंसधारी जिसका ऐसे भू-गृहादि पर अध्यासन हो; और
- (ङ) कोई व्यक्ति जो ऐसे भू-गृहादि का प्रयोग और अध्यासन करने के सम्बन्ध में स्वामी को क्षतिपूर्ति का वेतदार हो;

(17) किसी भू-गृहादि के सम्बन्ध में, "स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उक्त भू-गृहादि का किराया लेता हो अथवा जो उसका किराया लेने का हकदार हो यदि भू-गृहादि किराये पर दिया जाय और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:—

- (क) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो स्वामी के मध्ये ऐसा किराया लेता हो;
- (ख) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो धार्मिक या पूंज प्रयोजनों के लिये अर्पित किसी भू-गृहादि का किराया लेता हो या जिसे उसका प्रबन्ध सौंपा गया हो;
- (ग) किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उक्त भू-गृहादि का प्रभार लेने के लिये या ऐसे भू-गृहादि के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त रिसेवर या प्रबन्धक; और
- (घ) भोग-व्यवहारी;

(18) "भू-गृहादि" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन से है;

(19) "बिहित" का तात्पर्य नियमों द्वारा बिहित से है;

(20) "बिहित प्राधिकारी" का तात्पर्य बिहित प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का संपादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी से है;

(21) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, "असार्वजनिक मार्ग", "सार्वजनिक मार्ग" तथा "मार्ग" के वही अर्थ होंगे जो ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि में हों;

(22) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(23) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है;

(24) "सेवा पाइप" का तात्पर्य रोक-टॉटी से परे संयोजक पाइप से भिन्न किसी पाइप से है, जिसके द्वारा किसी भू-गृहादि को जल संभरित किया जाता हो;

(25) "सीवेज" का तात्पर्य विष्टा या नाबदानों, शौचालयों, संडालों, भूत्रालयों, मलकूपों अथवा नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुओं, और हौदी, स्नानागार, अस्तबल, पशु-शाला तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों के दूषित जल से है और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ ब्रव पदार्थ भी है;

(26) "सीवर" का तात्पर्य सीवेज, वुर्गन्मित पदार्थ, दूषित जल, उच्छिष्ट जल अथवा अवभूमि जल वहा ले जाने के लिये बन्द बाहक नाला से है;

(27) "सीवर-व्यवस्था" का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ ब्रव पदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने, शोधन करने और निस्तारण करने से है;

(28) "रोक-टॉटी" का तात्पर्य ऐसी रोक-टॉटी से है, जो किसी भू-गृहादि के जल संभरण को बन्द अथवा विनियमित करने के प्रयोजनार्थ प्रनाड से दूर संयोजक पाइप के सिरे पर लगी हो;

(29) "व्यापारिक व्यर्थ ब्रव पदार्थ" का तात्पर्य किसी ऐसे तरल पदार्थ, चाहे उसमें पदार्थ के कण घुले मिले हों या न हों, से है जो पूर्णतः या अंशतः किसी व्यापार या उद्योग जिसके अन्तर्गत कृषि तथा औद्योगिकी भी है, के दौरान उत्पादित या उत्सर्जित होता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू सीवेज नहीं है;

(30) "जल संयोजन" के अन्तर्गत—

(क) कोई ऐसी टंकी, जल कुण्ड, बम्बा (हाइड्रेंट), स्थायी नल, मीटर या टॉटी भी है, जो किसी असार्वजनिक सम्पत्ति में स्थित हो और जल संस्वान के प्रनाड या अन्य पाइप से संपुगत हों; और

(ख) जल का ऐसा पाइप भी है जो ऐसी टंकी, जल कुण्ड, बम्बा, स्थायी नल, मीटर या टॉटी को ऐसे प्रनाड या पाइप से जोड़ता हो;

(31) "जल संभरण" का तात्पर्य किसी समुदाय को पीने की तथा अन्य घरेलू उपयोगों, उद्योग, आनंद-प्रमोद तथा विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों की अपेक्षा को पूरा करने वाली जल व्यवस्था प्रणाली से है ;

(32) "जल कल" के अन्तर्गत जल मार्ग (जिसमें कोई सोता, झील, झरना, नदी या नहर, कुआँ, पम्प, गैलरी, जलाशय, जल कुण्ड, टंकी सम्मिलित है), नलिका चाहे वह ढकी हो या खुली, शोधन यूनिट, जल कपाट, संभरण प्रनाड, पुलिबा, इंजन, जल वाहन, बम्बा, स्थायी नल, बाहक नाला और मशीन, भूमि, भवन या ऐसी अन्य वस्तु है जो जल संभरण के लिये ही, अथवा जल संभरण के लिये प्रयुक्त हो अथवा जल संभरण के स्रोतों का संरक्षण के करने के लिये या जल शोधन के लिए हो।

अध्याय 2

निगम की स्थापना, कार्य संचालन, कृत्य तथा शक्तियाँ

निगम की स्थापना

3--(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट बिनांक से, उत्तर प्रदेश जल निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।

(2) उत्तर प्रदेश जल निगम उक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह ऋण प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध ऋण प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने अथवा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(3) निगम सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा।

(4) निगम का प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा, और ऐसे अन्य स्थानों पर भी उसके कार्यालय हो सकते हैं जिन्हें वह आवश्यक समझे।

निगम का गठन

4--(1) निगम में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।

(2) अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) एक प्रबन्ध निदेशक (जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी), जो प्रशासकीय अनुभव रखने वाला तथा जल संभरण और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अर्हित अभियन्ता होगा;

(ख) एक वित्त निदेशक (जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा), जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी विषयों का अनुभव हो;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वायत्त शासन विभाग, पदेन;

(ङ) स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(च) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(छ) राज्य में स्थानीय निकायों के तीन निर्वाचित प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(3) अध्यक्ष की तथा पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (च) में निर्दिष्ट कोई सदस्य निगम की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी सदस्य की दशा में, किसी ऐसे अधिकारी को जो उसके विभाग में उप सचिव के पद से नीचे का न हो और खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य की दशा में, जो अपर निदेशक के पद से नीचे का न हो, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिए अनर्हता

5--कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष या अन्य सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें नैतिक अधमता समन्वित हो;

(ख) अननुमकत दिवालिया हो;

(ग) विकृत-चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया हो;

(घ) धारा 6 और 7 में यथा उपबन्धित के सिवाय, निगम के अधीन किसी लाभ के पद पर हो ;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो, जो निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित रखता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इतने कारण से अर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो—

(1) किसी स्थावर संपत्ति की बिक्री, क्रय, उस पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा उसके लिये किये गये किसी करार में,

(2) धन के ऋण के लिये किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिये किसी प्रतिभूति में,

(3) किसी ऐसे सभाचार-पत्र में, जिसमें निगम के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो,

(4) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु को, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो, बदा-कदा बिक्री में,

कोई अंश या हित है ।

6—(1) निगम का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, और वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्य-काल

(2) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रधान के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

(3) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

(4) अध्यक्ष या कोई अन्य उपर्युक्त सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

7—(1) अध्यक्ष तथा धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन नियुक्त सदस्यों को निगम की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय ।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पद के सम्बन्ध में अन्य उपबन्ध

(2) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त कोई अन्य सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्यों के पालन में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उक्त स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का संपादन करने के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है ।

8—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण संपादन करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे :

कर्मचारियों की नियुक्ति

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा चिनिदिष्ट करे, नियुक्ति तथा उनके निबन्धन और शर्तों का अवधारण राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा ।

(2) निगम राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, निगम का कर्मचारी नियुक्त कर सकता है ।

कर्मचारियों का
पर्यवेक्षण और उन
पर नियंत्रण

निगम के आदेशों
तथा अन्य लिखतों
का अधिप्रमाणी-
करण

शक्तियों का प्रति-
निधान

हित होने के
कारण निगम को
कार्यवाहियों में
भाग लेने से
अनहता

अनीपचारिकता
रिश्ते आदि के
कारण किये गये
कार्य अविधिमान्य
नहीं होंगे

जल निगम के
कृत्य

9—निगम के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष का निगम के अन्य समस्त कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण तथा निवेश होगा और इस बात के अधीन रहते हुए प्रबन्ध-निवेशक का उन पर नियंत्रण होगा।

10—(1) निगम की सभी कार्यवाहियाँ निगम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी और निगम के सभी आदेश तथा अन्य लिखतें निगम के प्रबन्ध-निवेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी।

(2) निगम किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बंधक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति निगम की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा।

11—इस के अधिनियम उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या अध्यक्ष या प्रबन्ध-निवेशक या निगम के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को जो धारा 46, 49 और 50 के अधीन उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य न हों, प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

12—(1) निगम का या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य—

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 5 के खण्ड (ड) या (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो, या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसका उस मामले में पूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्तिक रूप से काम किया हो, धारा 5 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध में निगम या उसकी किसी समिति की किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत किसी संकल्प या प्रश्न पर चर्चा की है, न तो मत देगा और न भाग लेगा।

(2) यदि निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित हो, तो वह निगम की या उसकी किसी समिति की किसी ऐसी बैठक में जिसमें ऐसी भूमि से सम्बन्धित किसी विषय पर विचार किया जाना हो, भाग नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात निगम या उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को, उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उसकी चर्चा में भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

13—निगम या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल—

(क) निगम या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने,

के कारण अविधिमान्य न होंगे।

14—निगम के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(1) जल संभरण के लिए तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज के निस्तारण के लिए योजनाएँ तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना;

(2) राज्य सरकार, और स्थानीय निकायों, को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यष्टियों को जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(3) राज्य सरकार के निदेश पर जल संभरण, सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनाएँ तैयार करना;

(4) जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर टैरिफ, कर तथा जल संभरण के परिचय का पुनर्विलोकन करना और उन पर सलाह देना;

(5) अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करने तथा उसका उपयोग किये जाने का प्रबन्ध करना;

- (6) जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सेवाओं के लिये राज्य मानक स्थापित करना;
- (7) ऐसे सभी कृत्य करना जो यहां पर वर्णित नहीं हैं और जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व स्वायत्त शासन अभिमंत्रण विभाग द्वारा किये जा रहे थे;
- (8) प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनर्विलोकन करना;
- (9) राज्य में प्रत्येक जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं के पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना;
- (10) जब राज्य सरकार द्वारा निदेश दिया जाय तो किसी जल-कल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिये जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संचालित करना, चलाना और उनका अनुरक्षण करना;
- (11) राज्य में जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना;
- (12) निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिये व्यावहारिक गवेषणा करना;
- (13) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गये किन्हीं कृत्यों को करना; और
- (14) ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जायं।

15—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो।

जल निगम
की शक्ति

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी:—

- (1) राज्य में समस्त जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना;
- (2) किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरण से ऐसी आर्थिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना जिसे वह आवश्यक समझे;
- (3) अपने कार्मिकों के लिए तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- (4) जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करना;
- (5) राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यष्टियों को निगम द्वारा प्रदान की गयी सभी सेवाओं के लिये फीस की अनुसूची निर्धारित करना;
- (6) किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संबिधा या करार करना, जिसे निगम इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिए आवश्यक समझे;
- (7) प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना;
- (8) जल संस्थानों की अधिकांशता में समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिये टैरिफ का अनुमोदन करना;
- (9) धन उधार लेना, ऋण-पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना;
- (10) स्थानीय निकायों को उनकी जल संभरण योजना तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी योजना के लिये ऋण वितरण करना;
- (11) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का संपादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अधिम स्वीकृत करना।

16—(1) निगम किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय से ऐसी रिपोर्ट तथा सूचना जिसे निगम आवश्यक समझे, मांग सकता है और उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

रिपोर्ट तथा सूचना
मांगने की शक्ति

(2) (क) इस प्रकार जारी किये गये विदेशों का सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय द्वारा, यथाशक्यशीघ्र, अनुपालन किया जायगा;

(ख) यदि ऐसा जल संस्थान या स्थानीय निकाय ऐसे निदेशों से असहमत हो अथवा उनका अनुपालन करने में कोई कठिनाई अनुभव करे तो वह उस मामले को राज्य सरकार को निदिष्ट करेगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

पर्यवेक्षण तथा प्रति संकड़ा परिव्यय

17—निगम किसी ऐसी योजना या निर्माण-कार्य के व्यय में, जिसके निष्पादन या अप्रेतर निष्पादन का कार्य धारा 14 के खण्ड (1) के अधीन किया जाय, पर्यवेक्षण तथा प्रति संकड़ा परिव्यय, ऐसी दर पर, जो ऐसी सीमा से अधिक न हो जिसे विहित किया जाय जिसे वह धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (5) के अधीन अवधारित करे, सम्मिलित कर सकता है।

अध्याय 3

जल संस्थानों की स्थापना, कार्य संचालन, कृत्य तथा शक्तियाँ

जल-संस्थान की स्थापना

18—(1) यदि राज्य सरकार की राय में, स्थानीय परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हो और किसी क्षेत्र में जल संभरण और सौकर-व्यवस्था सम्बन्धी; सेवाओं में सुधार करना आवश्यक या समीचीन समझा जाय तो वह उस क्षेत्र के लिये जल संस्थान के नाम से एक निकाय गठित कर सकती है।

(2) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिदिष्ट दिनांक से, गठित किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई जल संस्थान इस प्रकार गठित किया जा सकता है कि एक या एकधिक स्थानीय निकायों के स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, जैसा राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में विनिदिष्ट करे, उसकी अधिकारिता हो।

(4) जल संस्थान शाश्वत उत्तराधिकार वाला एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मूद्रा होगी और वह जल संस्थान "(क्षेत्र का छोटा नाम जैसा उक्त अधिसूचना में विनिदिष्ट हो) जल संस्थान" के नाम से वाब प्रस्तुत कर सकेगा, और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने अथवा उसका निस्तारण करने को शक्ति होगी।

(5) जल संस्थान को सभी प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझा जायगा।

(6) जल संस्थान का मूध्य कार्यालय उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिदिष्ट स्थान पर होगा।

(7) जल संस्थान का अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों पर भी, जहाँ वह आवश्यक समझे, उप-कार्यालय हो सकता है।

(8) राज्य सरकार, जहाँ वह लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, गजट में अधिसूचना द्वारा और अधिसूचना में विनिदिष्ट दिनांक से,—

(क) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिदिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है अथवा उसमें से कोई क्षेत्र अलग कर सकती है;

(ख) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिदिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र को दो या अधिक जल संस्थानों के क्षेत्र में पृथक-पृथक बांट सकती है;

(ग) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिदिष्ट दो या अधिक जल संस्थानों के क्षेत्रों को एकल जल संस्थान के क्षेत्र में समाहित कर सकती है; या

(घ) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिदिष्ट किसी जल संस्थान के क्षेत्र का कोई भाग ऐसा क्षेत्र न रह जाने की घोषणा कर सकती है।

महापालिकाओं तथा म्युनिसिपल बोर्डों पर जल संस्थान की शक्तियों का प्रबल किया जाना

19—(1) किसी नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड के तदर्थ आवेदन पर राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, उस नगर महापालिका या बोर्ड को, ऐसे दिनांक से जिसे ऐसी अधिसूचना में विनिदिष्ट किया जायगा, जल संस्थान की शक्तियाँ प्रदत्त कर सकती है और जहाँ ऐसी अधिसूचना जारी की जाय वहाँ ऐसी नगर महापालिका या बोर्ड अपने स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में जल संस्थान के कृत्यों का सम्पादन और शक्तियों का प्रयोग करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 20, 21, 22, 33 और 38 ऐसी किसी नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड पर लागू न होगी।

(2) जल संस्थान के रूप में नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में, यथा स्थिति उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 या यू० पी० म्युनिसिपैल्टीज ऐक्ट, 1916 और इस अधिनियम के बीच कोई असंगति होने की दशा में इस अधिनियम के उपबन्ध अधिभावी होंगे।

20--(1) जल संस्थान में, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होगा।

जलसंस्थान
का गठन

(2) अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे:--

(क) उस जिले का कलेक्टर जिसमें जल संस्थान का प्रधान कार्यालय स्थित हो ;

(ख) सामुदायिक विकास विभाग का वह ज्येष्ठतम अधिकारी जिसका मुख्यालय जल संस्थान के क्षेत्रान्तर्गत हो ;

(ग) एक महाप्रबन्धक (जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा) जो प्रशासकीय अनुभव रखने वाला तथा जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का भी अनुभव रखने वाला अहित अभियन्ता होगा ;

(घ) निगम का एक प्रतिनिधि; और

(ङ) जल संस्थान की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकाय के तीन निर्वाचित प्रधान अथवा सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

21--निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हताओं से संबंधित धारा 5 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पदों के संबंध में लागू होंगे।

अनर्हतायें

22--(1) जल संस्थान का अध्यक्ष जब तक कि वह पदेन नियुक्त न किया जाय, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

कार्यकाल

(2) धारा 20 के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, जब तक कि उसका कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा, गजट में अधिसूचना द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दिया जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा तब तक जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त न हो जाय, इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(3) धारा 20 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा।

(4) जल संस्थान का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित करके स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

23--(1) जल संस्थान के अध्यक्ष तथा ऐत अन्य सदस्यों को, जो जल संस्थान के लिये पूर्ण-कालिक रूप से कार्य करें, जल संस्थान की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार निश्चित करे।

पारिश्रमिक

(2) यदि जल संस्थान का अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य अशक्तता या अन्य प्रकार से अपने कर्तव्यों के पालन में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से, जिनमें उसका पद रिक्त होना अन्तर्ग्रस्त न हो, भिन्न परिस्थितियों में अवकाश के कारण अनुपस्थित हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके स्थान पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने तथा उसके कृत्यों का संपादन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

24--जल संस्थान के निम्नलिखित कृत्य होंगे:--

जल संस्थान के कृत्य

(1) जल सम्भरण की योजनाएं बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना ;

(2) जहां साध्य हो, वहां सीवर-व्यवस्था, सीवेज संबंधी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रवर्तन ;

(3) अपने कार्य-कलापों का इस प्रकार प्रवन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्यप्रद जल मिल सके और, जहां साध्य हो वहां दक्ष सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवा की व्यवस्था की जा सके ;

(4) ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो ;

(5) ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उभरे लिये।

25--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक जल संस्थान को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो।

जल संस्थान की
शक्तियां

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी:—

(1) उस क्षेत्र के, जो उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत हो, जल-सम्भरण, सीवर-व्यवस्था और सीवेज संबंधी निस्तारण से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करना ;

(2) भूमि तथा अन्य सम्पत्ति अर्जित करना, उन पर अधिपत्य रखना और उन्हें धारित करना और किसी राज मार्ग, सड़क, मार्ग या स्थान से होकर, उसके आर-पार, ऊपर या नीचे से और स्वामी या अध्यासी को युक्ति-युक्त लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी भवन या भूमि में, उससे होकर, उसके ऊपर या नीचे से कोई जल या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी निर्माण-कार्य करना ;

(3) किसी प्राकृतिक स्रोत से जल और उच्छिष्ट जल का निस्तारण करना ;

(4) किसी व्यक्ति या निकाय के साथ ऐसी संबिदा या करार करना जिसे जल संस्थान आवश्यक समझे ;

(5) प्रतिवर्ष अपनी वजत अभिस्वीकृत करना ;

(6) निगम के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिये ऐसे टैरिफ लगाना या उसमें संशोधन करना और इन सेवाओं के लिए ऐसे सभी कर तथा प्रभार वसूल करना जो विहित किए जायें ;

(7) व्यय करना तथा अपनी निधियों का प्रवन्ध करना ;

(8) निगम में ऋण, अग्रिम, वित्तीय सहायता तथा अनुदान प्राप्त करना ।

शक्तियों का प्रतिनिधान

26—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई जल संस्थान सामान्य या विशेष आदेश से, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शक्ति भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को या महाप्रबन्धक को अथवा जल संस्थान के किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को जो धारा 44 और 50 के अधीन शक्तियाँ तथा कर्तव्य न हों; प्रतिनिहित कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे ।

कर्मचारियों की नियुक्ति

27—(1) जल संस्थान अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण सम्पादन करने के लिये ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त तथा उनके निबन्धन तथा शर्तों का अवधारण, राज्य सरकार के अनुमोदन से किया जायगा ।

(2) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुए, जल संस्थान के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण तथा उन पर नियंत्रण महाप्रबन्धक में निहित होगा ।

जल संस्थान के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधि-प्रशाणीकरण

28—(1) जल संस्थान की सभी कार्यवाहियाँ जल संस्थान के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रशाणीकृत की जायेंगी, और जल संस्थान के सभी आदेश तथा अन्य लिखतें जल संस्थान के महाप्रबन्धक या ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रशाणीकृत की जायेंगी ।

(2) जल संस्थान किसी विषय पर सहायता या सलाह देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति जल संस्थान की किन्हीं कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे

29—जल संस्थान या उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही केवल—

(क) जल संस्थान या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने,

के कारण अविधिमान्य न होगी ।

उपभोक्ताओं से विवाद

30—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जल संस्थान तथा उपभोक्ता के बीच उद्भूत होने वाला कोई विवाद निगम को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्याय 4

सम्पत्तियों-आस्तियों, दायित्वों व आभार का निहित किया जाना और कर्मचारियों का अन्तरण

31--(1) निगम की स्थापना के दिनांक, अर्थात् 18 जून, 1975 से, जिसे इस अध्याय में आगे नियत दिनांक के रूप में निदिष्ट किया गया है--

(क) जो सम्पत्ति और आस्तियों (जिसके अन्तर्गत जल-कल, भवन, प्रयोगशाला, भण्डार, गाड़ी, फरनीचर, और अन्य साज-सामान सम्मिलित हैं) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार में नियत दिनांक के ठीक पूर्व निहित थी वह सब निगम में निहित और उसको अन्तरित हो जायगी,

(ख) जो अधिकार, दायित्व और आभार राज्य सरकार के उक्त विभाग से सम्बन्धित थे, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब निगम के अधिकार, दायित्व और आभार होंगे।

(2) ऐसी सम्पत्तियों, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार निर्धारित करे।

(3) जो वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार के द्वारा या विरुद्ध संस्थित या प्रतिवादित की गई हैं या उपधारा (1) के अधीन निहित और अन्तरित न होने पर की गई होतीं, वे निगम के द्वारा या विरुद्ध जारी, संस्थित या प्रतिवादित की जा सकती हैं।

32--जहाँ कोई सन्देह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति या आस्ति निगम में धारा 31 के अधीन निहित हुई है या कोई अधिकार, दायित्व या आभार उस धारा के अधीन निगम का अधिकार, दायित्व और आभार हो गई है वहाँ ऐसे सन्देह या विवाद को राज्य सरकार को निदिष्ट कर दिया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

33--(1) जहाँ कहीं भी धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई जल संस्थान गठित किया जाय वहाँ--

(क) समस्त वर्तमान जल संभरण सेवायें और जहाँ जल संस्थान धारा 24 के खण्ड (2) में विनिदिष्ट कृत्यों को अपने हाथ में ले, वहाँ वर्तमान समस्त सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवायें, सीवेज संबंधी कार्य तथा सीवेज फार्म जिनके अन्तर्गत, यथास्थिति, सभी संपन्न, मशीनरी, जल-कल, पम्पिंग स्टेशन, छानने की टंकियां, जल प्रनाड तथा किसी सार्वजनिक मार्ग में या उसके किनारे, ऊपर या नीचे सार्वजनिक सीवर तथा ऐसे सभी भवन, भूमि और अन्य निर्माण-कार्य, सामग्री, भंडार और उससे संबंधित वस्तुयें जो जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक स्थानीय निकाय की हों या उसमें निहित हों ;

(ख) उक्त जल प्रनाड तथा सीवरों से संलग्न उतनी भू-भूमि जो किसी ऐसे जल प्रनाड तथा सीवरों या किन्हीं पाइपों तथा ऐसे अन्य उपकरणों और फिटिंग्स, जो ऐसे जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं और कार्यों तथा सीवेज फार्मों से संबंधित हो, को बढ़ाने, गहरा करने या अन्य प्रकार से उनकी मरम्मत या उनका अनुरक्षण करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो; और

(ग) खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित वस्तुओं से संबंधित ऐसे स्थानीय निकाय के समस्त अधिकार, दायित्व तथा बाध्यताएं जिनके अन्तर्गत जल-कर तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी कर के, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, और जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं से संबंधित किसी परिव्यय या फीस के, वकाया की वसूली का अधिकार भी है और इसके अन्तर्गत खण्ड (क) या (ख) में निदिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित अथवा उपयोजित ऋण से भिन्न उपयुक्त किसी बात के लिये सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थानीय निकाय को दिये गये किसी ऋण से होने वाले दायित्व भी हैं;

जल संस्थान के गठित होने के दिनांक से (जिसे आगे इस अध्याय में "उक्त दिनांक" कहा गया है) उसमें निहित होंगे और उसे अन्तरित हो जायेंगे और उसके नियंत्रणाधीन होंगे।

(2) ऐसी सम्पत्ति, आस्ति, अधिकार, दायित्व और आभार का मूल्यांकन ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार प्रवर्धित करे।

(3) जहाँ इस संबंध में कोई संदेह या विवाद उठे कि कोई संपत्ति, या आस्तियां उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान में निहित हो गई हैं या नहीं अथवा कोई अधिकार, दायित्व या बाध्यताएं इस धारा के अधीन जल संस्थान के अधिकार, दायित्व या बाध्यतायें हो गई हैं, या नहीं तो ऐसा संदेह या विवाद राज्य सरकार को निदिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा और सम्बद्ध जल संस्थान तथा स्थानीय निकाय पर बन्धनकारी होगा।

34--धारा 24 में विनिदिष्ट किन्हीं कृत्यों के संबंध में उक्त दिनांक के पूर्व किसी स्थानीय निकाय द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत समस्त ऋण तथा बाध्यताएं, की गई समस्त संविदायें और किये जाने के लिए बचनबद्ध समस्त विषय तथा बातें जल संस्थान द्वारा, उसके साथ या उसके लिये उपगत किए गए या किए जाने के लिए बचनबद्ध समझी जायेंगी, और ऐसे सभी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां जो स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित हों या जो यदि धारा 33 की उपधारा

निगम में सम्पत्ति का निहित होना तथा अन्तरण

सम्पत्ति के निहित होने के संबंध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

वर्तमान जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं का जल संस्थान में निहित होना

जल संस्थान उन विषयों के संबंध में जिन पर यह अध्याय-देश प्रयोज्य हो, स्थानीय प्राधि-

प्रतिवादित की जा सकतीं, जल संस्थान द्वारा या उसके विशद जारी रखी जा सकती हैं, अथवा संस्थित या प्रतिवादित की जा सकती हैं ।

जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकायों के कार्य-कलापों का समन्वय

35—यदि राज्य सरकार का राय हो कि यह लोक-हित में है कि किसी जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय को जिनकी ऐसे क्षेत्रों पर एक दूसरे से लगे हुए हों, अधिकारिता हो, जल सम्भरण सेवाओं या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों के सम्बन्ध में अपने कार्य-कलापों का समन्वय करना चाहिए तो वह ऐसे जल संस्थान और सम्बद्ध स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे, और उस जल संस्थान तथा अन्य स्थानीय निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेश का अनुपालन करे ।

पुनः उधार देने की सर्कियों के संबंध में निगम की विशेष शक्तियां

36—जहां धारा 46 के अधीन किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय और निगम के बीच किसी करार में ऐसी व्यवस्था हो तो निगम को धारा 49 के अधीन अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे जल-कर के, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर के और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं से सम्बन्धित किसी परिषद या फीस के, बकाया के जो जल संस्थान या स्थानीय निकाय को देय हो, सीधे वसूल करने की भी शक्ति होगी जिससे कि निगम अपने देयों को वसूल सके ।

कर्मचारियों का निगम को स्थानान्तरण

37—(1) इस धारा में की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में सेवायोजित हो, नियत दिनांक को तथा से निगम का कर्मचारी हो जायगा और उसमें उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा, या सेवा में रहेगा जित पर वह नियत दिनांक को उसे धारण करता यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सेवायोजन निगम से समाप्त न कर दिया जाए अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवायें नियंत्रित होती हों, निगम द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू न होगी जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा निगम का कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे :

अप्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के अधीन पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और वह राज्य सरकार से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो—

- (1) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक,
- (2) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक,

के बराबर होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उनके नाम जमा धनराशि, राज्य सरकार द्वारा नियत दिनांक तक देय संचयित ब्याज और ऐसी निधि से संबंधित लेखे सहित निगम को अन्तर्गत कर दी जायेगी और राज्य सरकार को छोड़कर, निगम ऐसे कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश धन-दर्शियों का, जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार समुपयुक्त समय पर, उन्हें देय हो, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(3) संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक अगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन निगम में किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तर्गत से कोई ऐसा कर्मचारी उक्त ऐक्ट या ऐसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई बात किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नियत दिनांक को और से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो नियत दिनांक से निगम के अधिष्ठान में सृजित हो जायगा, निगम का, यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायगा ।

(5) उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी नियत दिनांक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदों की समाप्ति के दिनांक के बीच राज्य सरकार की सेवा में बना रहा समझा जायगा, किन्तु राज्य सरकार उक्त अवधि के लिए ऐसे कर्मचारी को अपने द्वारा दिये गये पारिश्रमिक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिकर को निगम से प्रतिपूर्ति की भी हकदार होगी ।

(6) छंटनी या पदों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, जैसे कि वे राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू हैं, के पैरा 426 या पैरा 436 की कोई बात सिवाय इस धारा में व्यवस्थित सीमा तक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होंगे।

(7) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी व्यक्ति की सेवाएं, जो राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में नियत दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित या नियत दिनांक के पहले जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा-समाप्ति या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, निगम को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होंगी, और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) राज्य सरकार के किसी कर्मचारी की सेवाएं उपधारा (1) के अधीन निगम को अन्तरित हो जाती हैं तो निगम ऐसे अन्तरण के पश्चात् ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने की जिसे वह उचित समझे ऐसे कर्मचारी के जब वह राज्य सरकार की सेवा में था, किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख का ध्यान रखते हुए, सक्षम होगा।

कर्मचारियों का
जल संस्थान की
स्थानान्तरण

38—(1) इस धारा में की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, (जिसके अन्तर्गत प० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 69-बी और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 112-क के अधीन सृजित सेवा का कोई सदस्य नहीं है) जो स्थानीय क्षेत्रों के जिसके लिए कोई जल संस्थान गठित किया गया हो किसी स्थानीय निकाय के अधीन अनन्य रूप से जल संभरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य अथवा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में सेवायोजित हो, उक्त दिनांक को तथा से जल संस्थान का कर्मचारी हो जायेगा और वह उसमें उती अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर और पेंशन, उपदान तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद धारण करेगा, या सेवा में रहेगा जिन पर वह उक्त दिनांक को उसे धारण करता, यदि उपर्युक्त जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाएं, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्म जल संस्थान को अन्तरित और उसमें निहित न किये गये होते, और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका सेवायोजन जल संस्थान से समाप्त न कर दिया जाय अथवा जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण में अथवा किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार, जिससे तत्समय उसकी सेवायें नियंत्रित होती हों, जल संस्थान द्वारा उसका पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें पुनरोक्ति या परिवर्तित न कर दी जायं:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर लागू न होगी जो राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लिखित नोटिस द्वारा जल संस्थान का कर्मचारी न होने के अपने अभिप्राय की सूचना दे:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि स्थानीय निकाय के अधीन पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की सेवा उसके द्वारा धृत पद के समाप्त होने के कारण समाप्त हो जायेगी और वह उक्त स्थानीय निकाय से ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा जो—

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, तीन मास के पारिश्रमिक,

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक,

के बराबर होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किसी अभिव्यक्त प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक शगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० में यथापरिभाषित किसी कर्मकार से भिन्न हो और जो जल संस्थान का कर्मचारी हो जाय, किसी ऐसे अधिष्ठान या उपक्रम से जिसमें वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व सेवायोजित था, जल संस्थान के किसी अन्य अधिष्ठान या उपक्रम में उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं अन्य निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो कि उक्त दिनांक के पूर्व कोई व्यक्ति किसी स्थानीय निकाय के अधीन उपर्युक्त जल संभरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं, सीवेज सम्बन्धी कार्य तथा सीवेज फार्मों के सम्बन्ध में अन्य रूप से सेवायोजित था या नहीं तो उसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिये गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधि में उनके नाम जमा धनराशि संबद्ध स्थानीय निकाय द्वारा उक्त दिनांक तक देय संचयित व्याज और ऐसी निधि से सम्बन्धित लेखे सहित जल संस्थान को अन्तरित कर दी जायेगी और स्थानीय निकाय को छोड़कर, जल संस्थान ऐसे कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश देयों का, जो उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार, समुपयुक्त समय पर, उन्हें देय हो, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(5) संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक शगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान में किसी

कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी उक्त ऐक्ट या एसी अन्य विधि के अधीन कोई प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(6) किसी स्थानीय निकाय का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान का कर्मचारी होने पर उक्त दिनांक को और से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो उक्त दिनांक से जल संस्थान के अधिष्ठान में सृजित हो जायगा, जल संस्थान का, यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी कर्मचारी हो जायगा।

(7) उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी उक्त दिनांक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन पदों की समाप्ति के दिनांक के बीच सम्बद्ध स्थानीय निकाय की सेवा में बना रहा समझा जायगा, किन्तु स्थानीय निकाय उक्त अवधि के लिये ऐसे कर्मचारी को अपने द्वारा दिये गये पारिश्रमिक और उक्त उपधारा के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट प्रतिकर का जल संस्थान से प्रतिपूर्ति का भी हकदार होगा।

(8) सिविल सर्विस रेग्यूलेशन, जैसा कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू है, के पैरा 426 या पैरा 436 अथवा पदों की छंटनी या उनको समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से सम्बन्धित किन्हीं अन्य नियमों को कोई बात, सिवाय इस धारा में व्यवस्थित सीमा तक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होगी।

(9) यू.पी. म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, 1916 की धारा 69-बी, तथा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 112-क या उक्त धाराओं के अधीन बनाये गये नियमों में केन्द्रीयित सेवाओं के सम्बन्ध में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीयित सेवा का प्रत्येक व्यक्ति जो उक्त धाराओं और नियमों में निर्दिष्ट हो, यथास्थिति, ऐसे जल संस्थान या निगम में जिसको कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के किसी आदेश द्वारा तत्समय उसकी सेवायें प्रदान की जायें, प्रतिनियुक्ति पर सेवा करने के लिये आबद्ध होगा, और ऐसा कोई कर्मचारी केवल ऐसी प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोई प्रतिनियुक्ति या अन्य भत्ता पाने का हकदार न होगा, तथा तद्धीन रहत हुए वह उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर केन्द्रीयित सेवा का सदस्य बना रहेगा जिस पर कि वह ऐसी प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के पहले था।

(10) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी—

(क) किसी व्यक्ति की सेवाएं, जो किसी स्थानीय निकाय के अधीन नियत दिनांक से ठीक पूर्व सेवायोजित थी, या नियत दिनांक के पहले जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन थी या जिसको उसकी सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का कोई नोटिस या आदेश जारी किया जा चुका था, जल संस्थान को नियत दिनांक को या से अन्तरित नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति के विषय में नियत दिनांक के पश्चात् ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायगी जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

(ख) यदि स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी की सेवाएं उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान को अन्तरित हो जाती हैं तो जल संस्थान ऐसे अन्तरण के पश्चात् ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध या सम्बन्ध में ऐसी अनुशासनात्मक या अन्य कार्यवाही करने को, जिसे वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारी के जब वह स्थानीय निकाय की सेवा में था, किसी कार्य या लोप या आचरण या अभिलेख का ध्यान रखते हुए, सूक्ष्म होगा।

अध्याय 5

संपत्ति, संविदा, वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा

संविदा आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण

39—निगम या जल संस्थान की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा संपत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा।

निगम की निधि

40—(1) निगम को अपनी निधि होगी जो निगम निधि कहलायेगी और स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त धनराशियां से मिली सभी प्राप्त धनराशियां जमा की जायेंगी।

(2) निगम की एक और निधि भी होगी जो ऋण निधि कहलायेगी और वह भी स्थानीय निधि समझी जायगी और उसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से ऋणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना, निगम राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी अन्य निधियां गठित कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन उक्त कृत्यों के दक्ष संपादन के लिये आवश्यक हों।

जल संस्थान की निधि

41—प्रत्येक जल संस्थान की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें जल संस्थान द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी।

42—निगम, यथाव्यवहार्य और धारा 43 के अधीन राज्य सरकार से किसी अनुदान या वित्तीय सहायता के लिये कोई उधार लेने के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन अपना कार्य संचालन हानि पर नहीं करेगा।

43—(1)—राज्य सरकार राज्य विधान मण्डल के यथोचित विधायी विनियोजन के पश्चात्, समय-समय पर, निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अनुदान तथा वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकती है।

(2) राज्य सरकार जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजनार्थ किसी स्थानीय निकाय या जल संस्थान को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान निगम के माध्यम से ही देगी, अन्यथा नहीं।

44—जल संस्थान इस अधिनियम के अधीन अपने कर और प्रभार की दरें समय-समय पर, इस प्रकार निर्धारित तथा समायोजित करेगा जिससे कि वह अपने कार्य संचालन, अनुरक्षण और ऋण सम्बन्धी खर्च को, यथासाध्य, पूरा कर सके और जहां व्यवहार्य हो, अपनी स्थिर आस्तियों पर लाभ प्राप्त कर सके।

45—राज्य सरकार समय-समय पर निगम को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जिन पर राज्य सरकार और निगम सहमत हों, ऋण दे सकती है।

46—(1) निगम तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, और उपधारा (5) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, अपनी स्थापना के दिनांक से एकमात्र ऐसा स्थानीय प्राधिकारी होगा जो जल-संभरण और सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिये कोई भी धनराशि उधार लेने के लिये प्राधिकृत है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थानीय निकाय जिसको ऐसे स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता हो जो जल संस्थान की अधिकारिता में सम्मिलित न हो, राज्य सरकार के अनुमोदन से, जो ऐसा अनुमोदन देने के पूर्व निगम से परामर्श करेगी, ऐसी सेवाओं के लिये कोई भी धनराशि उधार ले सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, अधीन रहते हुये इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित धनराशि, या तो बन्ध-पत्र या निधि-पत्र जारी करके या अन्य प्रकार से अथवा ऐसे बैंकों या अन्य निकायों या संस्थाओं से जो इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, उधाराव करके उधार ले सकता है।

(3) निगम द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया जाने वाला ऋण-पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा, उसके संबंध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जायगी तथा उसे ऐसी रीति से मोचित किया जायगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(4) निगम ऐसी उधार ली गई धनराशि का कोई भाग किसी स्थानीय निकाय को जल-संभरण और सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं से संबंधित कृत्यों के संपादन के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें निगम अवधारित करे, अग्रिम दे सकता है।

(5) यदि निगम ने किसी जल संस्थान या किसी स्थानीय निकाय को जल-संभरण तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिये ऋण देने के लिये कोई धनराशि उधार ली हो तो निगम ऐसा ऋण उक्त जल संस्थान या स्थानीय निकाय को ऐसे निबन्धनों तथा व्याज की दरों पर, उतनी धनराशि में तथा प्रतिदान की ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, अन्तरित करेगा जिन पर निगम और जल संस्थान या स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र में जल-संभरण तथा सीवर-व्यवस्था संबंधी सेवाओं की दक्ष प्रोन्नति, उनके निष्पादन, संचालन तथा अनुरक्षण के लिए करार द्वारा व्यवस्था करे।

47—निगम तथा प्रत्येक जल संस्थान एक अवक्षयण संचिति सृजित करेगा और उसके लिये ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायें, वार्षिक व्यवस्था करेगा।

48—राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिये निगम को दिये गये या अन्तरित किये गये किसी ऋण के प्रतिदान तथा सभी ऋणों पर व्याज क भुगतान को प्रत्याभूति कर सकेगी।

49—(1) जहां कोई जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो किसी करार के अधीन निगम के प्रतिदायी हो, किसी ऋण या अग्रिम अथवा उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में व्यतिक्रम करे या अन्यथा निगम के साथ किये गये करार के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहे तो निगम राज्य सरकार से इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) क अधीन निगम से अनुरोध-पत्र प्राप्त होने पर सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय की स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकती है कि निगम, जल संस्थान या स्थानीय निकाय को, यथास्थिति, जल संभरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं या दोनों का प्रबन्ध ले लेगा, और उसके देयों को ऐसे प्रबन्ध-तन्त्र के माध्यम से वसूल करेगा, और ऐसा आदेश तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये प्रभावी होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अपने मूल आदेश की कार्यान्वयन अवधि को समय-समय पर आदेश द्वारा इस प्रकार बढ़ा सकती है जिससे कि इस प्रकार बढ़ायी गयी कुल अवधि दो वर्ष से अधिक न हो।

जल निगम के वित्त के लिये सामान्य सिद्धान्त निगम तथा जल संस्थान की अनुदान तथा वित्तीय सहायता

जल संस्थान के वित्त के लिए सामान्य सिद्धान्त

निगम को ऋण

जल निगम की उधार लेने और पुनः उधार देने की शक्ति

अवक्षयण संचिति

प्रत्याभूतिदाता के रूप में सरकार निगम द्वारा सीधे प्रबन्ध

(3) यदि किसी जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जल संभरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं का प्रबन्ध निगम द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो अथवा कोई वेय धनराशियां उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन उसके द्वारा वसूल कर ली गई हों, तो इस प्रकार प्रबन्ध तथा वसूली के सम्बन्ध में उसके द्वारा उचित रूप से किये गये सभी खर्च, परिव्यय तथा व्यय जल संस्थान या स्थानीय निकाय से वसूल किये जा सकेंगे और ऐसी धनराशि, जो उसने उक्त प्रबन्ध तथा वसूली से प्राप्त की हो, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर उसके द्वारा न्याय में रखी जायगी जिसका उपयोग प्रथमतः उक्त खर्च, परिव्यय तथा व्यय का भुगतान करने में और द्वितीयतः निगम को वेय ऋण चुकाने में किया जायगा और इस प्रकार प्राप्त धनराशि का अवशिष्ट ऐसे जल संस्थान या स्थानीय निकाय को दिया जायगा जो उसे पाने का हकदार हो।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश दिया जाय, वहां सम्बद्ध जल संस्थान या स्थानीय निकाय और, यथास्थिति, जल संभरण या सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं अथवा दोनों में लगे हुए उसके कर्मचारी ऐसे आदेश का तत्काल अनुपालन करेंगे, और निगम क अनुरोध पर जिल का कलेक्टर ऐसी सेवाओं से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति या आस्ति, लेखा-बही, रजिस्टर या दस्तावेज निगम को दिलाने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्टतः ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

लेखे और लेखा-परीक्षा

50—(1) निगम और जल संस्थान वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति, एक विवरण-पत्र तथा/अथवा अनुपूरक विवरण-पत्र तथा उसके सम्बन्ध में एक वित्तीय प्राक्कलन उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेंगे तथा उसके दौरान किसी भी समय तैयार कर सकते हैं और उन्हें निगम की दशा में राज्य सरकार को और जल संस्थान की दशा में निगम को ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे दिनांक तक जैसा राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम के पूर्वानुमोदन के लिये प्रस्तुत करेंगे:

प्रतिवर्ष यह है कि उक्त पूर्वानुमोदन के, ऐसे वित्तीय वर्ष के जिसके सम्बन्ध में उक्त वित्तीय विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त न होने की दशा में, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान सभी लेखों में उतनी धनराशि तक की जो पूर्व वित्तीय वर्ष की तत्स्थानी अवधि के लिये अनुमोदित धनराशि से अधिक न हो, व्यय करने का हकदार होगा और ऐसी धनराशि में उक्त अवधि के दौरान अनुदान तथा वित्तीय सहायता में से व्यय की गई कोई धनराशि सम्मिलित न होगी।

(2) निगम तथा जल संस्थान ऐसी उचित लेखा-बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य बहियां रखवायेंगे और पक्का चिट्ठा ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जैसा विनियमों द्वारा अपेक्षित हो, तैयार करायेंगे।

(3) निगम और जल संस्थान के लेखों की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर की जायगी, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक को ऐसे विषयों के सम्बन्ध में लेखों के प्रस्तुत किये जाने और सूचना दिये जाने की अपेक्षा करने की और अस्वीकृति और अधिभार के सम्बन्ध में ऐसी शक्ति होगी, जो विहित की जाय।

(4) निगम और जल संस्थान के वे लेख जो लेखा-परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित हों और उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिवर्ष क्रमशः राज्य सरकार और निगम को भेजे जायेंगे जो उनके सम्बन्ध में, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान को ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह उचित समझे, और निगम या जल संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(5) राज्य सरकार—

(क) उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त निगम के लेखे, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे; और

(ख) निगम के लेखे को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेंगे, जो वह उचित समझे।

अधिभार

51—(1) यथास्थिति, निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी निगम या जल संस्थान की किसी धनराशि या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार के दायी होंगे यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुए उसकी प्रत्यक्ष अपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय।

(3) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणाम-स्वरूप अन्तर्गस्त पायी जाय, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(4) निगम या जल संस्थान को, उपधारा (3) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट धनराशि को ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को पारिश्रमिक के मद्दे या अन्य प्रकार से निगम या जल संस्थान द्वारा वेय किसी धनराशि में से, कटौती करने से निषिद्ध न करेगी।

अध्याय 6

कर, फीस तथा परिव्यय

52—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जल संस्थान अपने क्षेत्र के भीतर स्थित भू-गृहादि उद्ग्रहणीय कर वर,—

(क) जहाँ क्षेत्र जल संस्थान की जल सम्भरण सेवा के अन्तर्गत आता हो, जल कर, और

(ख) जहाँ क्षेत्र जल संस्थान की सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत आता हो, सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर,

उद्ग्रहीत करेगा ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित कर ऐसी वर पर उद्ग्रहीत किये जायेंगे, जो भू-गृहादि के निर्धारित वार्षिक मूल्य के, जल कर की दशा में छः प्रतिशत से कम और चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कर की दशा में दो प्रतिशत से कम तथा चार प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी, जैसा राज्य सरकार निगम की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करे ।

53—(1) धारा 52 के प्रयोजनार्थ, "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य—

(क) रेलवे स्टेशन, शिक्षा संस्था (जिसके अन्तर्गत उनके छात्रावास तथा हाल भी हैं), कारखाना (जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में परिभाषित है) और वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि उत्तर प्रदेश वृकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में परिभाषित है) की दशा में, भू-गृहादि के बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत, ।

(ख) किसी अन्य भू-गृहादि की दशा में, ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर ऐसा भू-गृहादि वास्तव में किराये पर दिया गया हो अथवा यदि भू-गृहादि किराये पर न दिया गया हो तो ऐसे सकल वार्षिक किराये जिस पर भू-गृहादि को युक्तियुक्ततः किराये पर दिये जाने को आशा हो,

से है :

प्रतिबन्ध यह है कि स्वामी द्वारा स्वयं अध्यासित भू-गृहादि की दशा में वार्षिक मूल्य इस धारा के अधीन अन्यथा अवधारित वार्षिक मूल्य से पच्चीस प्रतिशत कम समझा जायेगा ।

(2) धारा 52 में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, और ऐसा प्राधिकारी या तो स्वयं जल संस्थान या कोई अन्य अभिकरण हो सकता है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ।

(3) यदि निर्धारण जल संस्थान द्वारा अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाय तो जल संस्थान या ऐसा अन्य अभिकरण विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(4) जब तक किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित न किया जाय, तब तक उस स्थानीय क्षेत्र में समस्त भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जैसा कि वह सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा गृह-कर के प्रयोजनार्थ निर्धारित किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भी भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायेगा ।

(5) जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य जल संस्थान या उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, तो वह धारा 54 के अधीन की गई अपील पर उसमें किये गये किसी फेरफार के अधीन रहते हुये, किसी ऐसी विधि में, जिसमें सम्बन्धित स्थानीय निकाय का गठन हुआ हो, किसी बात के होते हुये भी, उस स्थानीय निकाय द्वारा उद्ग्रहीत गृह-कर के प्रयोजनों के लिये भी भू-गृहादि का वार्षिक मूल्य समझा जायेगा ।

54—(1) कोई व्यक्ति जो धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा दिये गये कर-निर्धारण के आदेश से भुग्ध हो, विहित प्राधिकारी को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है ।

कर निर्धारण के विरुद्ध अपील

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाय तो विहित प्राधिकारी उस आदेश के प्रवर्तन को ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

(3) विहित प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपोलाघीन आदेश को या को पुष्टि कर सकता है, या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है ।

(4) उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम और सम्बद्ध पक्षकारों पर बंधनकारी होगा ।

करों के उद्ग्रहण पर निर्बन्धन

55—धारा 52 में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन होगा, अर्थात्:—

(क) वे किसी ऐसी भूमि पर, जो केवल कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाती हो, उद्ग्रहीत नहीं किये जायेंगे जब तक कि जल संस्थान द्वारा उस भूमि को ऐसे प्रयोजनों के लिये जल संभरित न किया जाय;

(ख) जल-कर किसी ऐसे भू-गृहादि पर उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा—

(1) जिसका कोई भाग निकटतम स्थायी नल या अन्य जल कल से, जहाँ पर जनता को जल संस्थान द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, एक सौ मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर न हो; या

(2) जिसका वार्षिक मूल्य एक सौ पचास रुपये से अधिक न हो;

(ग) सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर किसी ऐसे भू-गृहादि पर उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा—

(1) जिसका कोई भाग जल संस्थान के निकटतम सीवर के एक सौ मीटर के अर्द्धव्यास के भीतर न हो; या

(2) जिसका वार्षिक मूल्य एक सौ पचास रुपये से अधिक न हो।

कर का मुगतान करने का वायित्व

56—धारा 52 में उल्लिखित कर—

(क) यथास्थिति, जल संस्थान के जल संभरण या सीवर से सम्बद्ध भू-गृहादि की दशा में, भू-गृहादि के अध्यासी से,

(ख) ऐसे भू-गृहादि की दशा में जो इस प्रकार सम्बद्ध न हो, भू-गृहादि के स्वामी से; वसूल किया जा सकता है।

करों का समेकन

57—धारा 52 में उल्लिखित दोनों करों के उद्ग्रहण, निर्धारण या संग्रहण के प्रयोजनार्थ, जल संस्थान दोनों करों को समेकित कर सकता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1959 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

58—धारा 52 में उल्लिखित करों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 178, 214, 215, 222, 223 और 226 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम की धारा 173 में वर्णित संपत्ति कर के सम्बन्ध में लागू होते हैं, और उक्त उपबन्धों में महापालिका और मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जायेगा मानों वे क्रमशः जल संस्थान और उसके ऐसे अधिकारी के जिसे तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रति निर्देश हों।

जल-परिव्यय

59—(1) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा, अपने द्वारा सम्भरित जल का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार, और प्रत्येक संयोजन के सम्बन्ध में लिया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी, निश्चित करेगा।

(2) जल संस्थान, परिमाण के अनुसार जल-परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, उक्त अवधि में जल के प्रत्याशित उपभोग के आधार पर, एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय

60—(1) जल संस्थान, गजट में अधिसूचना द्वारा, उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय, उसके परिमाण के अनुसार (जो उपभोक्ता को सम्भरित कुल जल के परिमाण का उतना प्रतिशत होगा जो विहित किया जाय), और ऐसे निस्तारण के सम्बन्ध में लिया जाने वाला न्यूनतम परिव्यय भी निश्चित करेगा।

(2) जल संस्थान, उपधारा (1) में वर्णित आधार के अनुसार उच्छिष्ट जल के निस्तारण का परिव्यय लेने के बजाय विनिर्दिष्ट अवधि के लिये, उक्त अवधि में उच्छिष्ट जल के प्रत्याशित निस्तारण के आधार पर एक निश्चित धनराशि स्वीकार कर सकता है।

मीटर का किराया

61—जल संस्थान मीटर के लिये ऐसा किराया, जैसी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जाय, ले सकता है।

प्रतिभूति

62—जल संस्थान उपभोक्ता से मीटर का संभरण किये जाने के सम्बन्ध में अथवा सीवर से संयोजित करने के लिये प्रतिभूति स्वरूप ऐसी धनराशि जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, की मांग कर सकता है, परन्तु जल संस्थान इस प्रकार जमा की गई किसी धनराशि पर उतनी दर ले जिसे निगम समय-समय पर अवधारित करे, व्याज देगा।

फीस

63—जल संस्थान किसी जल संभरण या सीवर के संयोजन, संयोजन को काटने, उसे पुनः संयोजित करने अथवा जांच या पर्यवेक्षण अथवा की गई किसी अन्य सेवा या निष्पादित अथवा पथवेक्षित कार्य के लिये ऐसी फीस जिसकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, ले सकता है।

64—(1) इस अधिनियम के अधीन जल संस्थान को कर, फीस, जल-परिव्यय, उच्छिष्ट जल-निस्तारण-परिव्यय, मीटर का किराया, शास्ति, क्षतिपूर्ति या अधिभार के मध्ये देय कोई धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

देय करें तथा अन्य धनराशि की वसूली

(2) उपधारा (1) की कोई बात, उपभोक्ता द्वारा उक्त उपधारा में निर्दिष्ट देयों का भुगतान न करने की दशा में, जल संस्थान की उपविधियों के अनुसार जल संभरण संयोजन काटन की जल संस्थान की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी ।

अध्याय 7

जल-संभरण

65—इस अधिनियम के अधीन घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण का तात्पर्य, सिवाय निम्नलिखित के, किसी भी प्रयोजन के लिये संभरण से है, अर्थात्:—

घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण की परिभाषा

- (क) व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय के लिये;
- (ख) उद्यान या सिंचाई के प्रयोजनार्थ;
- (ग) भवन निर्माण के लिये, जिसके अन्तर्गत भागों का निर्माण भी है;
- (घ) फव्वारे, तैरने का बड़ा हीज, सार्वजनिक स्नान गृह या टंकियों के लिये या किसी अलंकारिक या यांत्रिक प्रयोजनों के लिये;
- (ङ) ऐसे पशुओं के लिये, यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिये अथवा उनके उत्पाद की बिक्री के लिये रखे जाते हों;
- (च) किसी जलपान-गृह में या किसी होटल, बोर्डिंग हाउस या नैवासिक क्लब के निवासियों द्वारा उपभोग तथा प्रयोग के लिये;
- (छ) नाट्यशाला तथा सिनेमा में अभिगमन करने वाले व्यक्तियों के उपभोग तथा प्रयोग के लिये;
- (ज) मार्गों पर छिड़काव के लिये; या
- (झ) गाड़ियों को, यदि वे बिक्री या किराये पर देने के लिये रखी जाती हों, धोने के लिये ।

66—(1) जल संस्थान किसी भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी द्वारा तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर निम्नलिखित दशा में घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण करने की स्वीकृति देगा—

जल संस्थान द्वारा जल संभरण

- (क) यदि ऐसा भू-गृहादि वर्तमान प्रनाड से तीस मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो; या
- (ख) यदि प्रार्थी ऐसे भू-गृहादि की दशा में जो तीस मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो, भू-गृहादि को निकटतम वर्तमान प्रनाड से सम्बद्ध करने के लिये तीस मीटर की दूरी से आगे किसी विस्तार के आवश्यक व्यय को वहन करने के लिये तैयार हो ।

स्पष्टीकरण—जल संस्थान तीस मीटर से अनधिक, केवल ऐसी दूरी तक के विस्तार का व्यय वहन करेगा जो भू-गृहादि की बाह्य सीमा को निकटतम वर्तमान प्रनाड से सम्बद्ध करने के लिये पर्याप्त हो ।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे जल संभरित किया जाय उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी विस्तार का व्यय वहन करने पर भी, विस्तार में स्वत्व जल संस्थान में निहित होगा ।

(3) जल संस्थान तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर घरेलू प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये जल संभरण की स्वीकृति दे सकता है ।

(4) घरेलू या अन्य प्रयोजनों के लिये जल संभरण ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन होगा जिनकी व्यवस्था उप-विधियों द्वारा की जाय ।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट उप-विधियों में किसी बात के होते हुये भी, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य परिणियत निगम अथवा किसी शिक्षा संस्था को जल संस्थान भुगतान और अवधि के सम्बन्ध में ऐसे निबन्धनों पर तथा संभरण सम्बन्धी ऐसी शर्तों पर जल संभरण कर सकता है जिन पर परस्पर सहमति हो ।

67—कोई व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिनकी व्यवस्था उप-विधियों द्वारा की जाय, घरेलू प्रयोजनों के लिये सम्भरित जल का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये न तो करेगा और न करने देगा ।

घरेलू प्रयोजनों के लिये जल संभरण का प्रयोग गंर घरेलू प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायगा

दमकल नल की
व्यवस्था

68—(1) जल संस्थान किसी कारखाने (जैसा कि वह कारखाना अधिनियम, 1948 में परिभाषित है) अथवा किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान (जैसा कि वह उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में परिभाषित है) के स्वामी या अध्यासी के अनुरोध और उसके व्यय पर सभी आनुषंगिक कार्यों सहित दमकल नल की व्यवस्था और उसका अनुरक्षण ऐसे कारखाने, दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आग लगने की दशा में जल संभरण के लिये करेगा और किसी ऐसी दशा में ऐसे स्वामी या अध्यासी से उपर्युक्त के सम्बन्ध में संभरित जल का परिव्यय वसूल करेगा।

(2) जल संस्थान सभी ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जहाँ वह आवश्यक समझे, आग लगने की; दशा में जल संभरण के लिये सभी आनुषंगिक कार्यों सहित दमकल नल की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण करेगा और उपर्युक्त के सम्बन्ध में जल संभरित करेगा।

जल मीटर की
व्यवस्था करने की
शक्ति।

69—(1) जल संस्थान जल मीटर की व्यवस्था कर सकता है और उसे भू-गृहादि में जल संस्थान के जल कल से संयोजित सेवा पाइप में लगा सकता है।

(2) मीटर लगाने का व्यय और उसके प्रयोग के लिये देय किराया उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा।

(3) मीटरों की व्यवस्था अथवा उनके संयोजनों का अन्तरण और उनका प्रयोग, अनुरक्षण तथा परीक्षण और उसे लगाने का व्यय तथा उनका किराया और तत्सम्बन्धी किसी प्रतिभूति, यदि कोई हो, का दिया जाना, तदर्थ बनाई गई उपविधियों द्वारा विनियमित होगा।

लाइसेंस प्राप्त नल
मिस्त्री

70—(1) जल संस्थान द्वारा लाइसेंस-प्राप्त नल मिस्त्री (जिसे आगे लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री कहा गया है) से भिन्न कोई व्यक्ति जल संयोजन के सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्माण-कार्य जो मामूली कार्य न हो, नहीं करेगा, और कोई व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त नल मिस्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा निर्माण-कार्य करने की अनुज्ञा न देगा।

(2) जब उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई निर्माण-कार्य किया जाय तो ऐसा निर्माण-कार्य जल संस्थान की स्वेच्छा से विघटित कर दिया जा सकेगा।

जल के अपव्यय
पर प्रतिषेध

71—(1) ऐसे भू-गृहादि का जिसे जल संस्थान द्वारा जल संभरित किया जाय, स्वामी या अध्यासी जल का न तो अपव्यय होने देगा और न अपव्यय करेगा, और न ही उससे सम्बद्ध किसी सेवा पाइप या किसी टॉटी अथवा अन्य फिटिंग या कार्य को बिना मरम्मत के रहने देगा या रखेगा जिससे कि जल का अपव्यय हो।

(2) जब कभी जल संस्थान को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी सेवा पाइप या टॉटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य में किसी दोष के परिणामस्वरूप जल का अपव्यय हो रहा है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा उपभोक्ता से ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, उसकी मरम्मत कराने और दोष दूर कराने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी मरम्मत न कराई जाय तो जल संस्थान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उपभोक्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी मरम्मत करा सकता है, और ऐसी मरम्मत का परिव्यय उपभोक्ता से वसूल किया जायेगा।

जल संभरण काट
देने की शक्ति

72—(1) जल संस्थान किसी भू-गृहादि के जल संभरण को काट सकता है—

(क) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर, फीस, किराया, जल परिव्यय या किसी परिव्यय या अन्य धनराशि का भुगतान उपर्युक्त के सम्बन्ध में विल दिये जाने के पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न किया जाय; अथवा

(ख) यदि जल संस्थान से ऐसा लिखित नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् जिसके द्वारा उससे ऐसा करने से विरत रहने की अपेक्षा की गई हो, उपभोक्ता इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियमों या उप-विधि के उपबन्धों का उल्लंघन करके जल का प्रयोग करना जारी रखता है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दिये रहता है; अथवा

(ग) यदि उपभोक्ता जल मीटर या किसी संयोजक पाइप अथवा जोड़ चूड़ी को क्षति पहुंचाता है या ऐसी क्षति पहुंचने देता है; अथवा

(घ) यदि उपभोक्ता जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक को ऐसे भू-गृहादि में प्रवेश नहीं करने देता है जहाँ जल संभरण के सम्बन्ध में वह कोई निर्माण-कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा कोई परीक्षा या जांच करने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना चाहता हो, अथवा किसी ऐसे अधिकारी या सेवक को कोई निर्माण-कार्य निष्पादित करने या कोई साधित्र लगाने या उसे हटाने अथवा ऐसी परीक्षा या जांच करने से रोकता है; अथवा

(ङ) यदि जल संस्थान के तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किसी अधिकारी या सेवक द्वारा परीक्षा करने पर यह पाया जाय कि सेवा पाइप या कोई टॉटी अथवा उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य मरम्मत न किये जाने से इतना खराब है जिससे जल का अपव्यय या उसका अपव्यय होता है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक है; अथवा

(च) यदि उपभोक्ता इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों या उपविधियों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी सेवा पाइप या किसी टॉटी या उससे सम्बद्ध अन्य फिटिंग या कार्य को स्थापित कराये, उसे हटाये, उसकी मरम्मत कराये या अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करे अथवा ऐसा करने की अनुज्ञा दे; अथवा

(ख) यदि सेवा पाइप या टॉटी अथवा अन्य फिटिंग या निर्माण-कार्य में ख़ाब होने के कारण सार्वजनिक मार्ग को क्षति पहुँचती है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक हो।

(2) इस धारा के अधीन या इसके अनुसरण में की गई किसी कार्यवाही से कोई व्यक्ति किसी ऐसी शास्ति या दायित्व से अवमुक्त न होगा जिसे उसने अन्यथा उपगत किया हो।

(3) जल संस्थान उपधारा (1) के अधीन काटे गये जल संभरण को ऐसे परिचयों का भूगतान करने और ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, फिर से जोड़ सकता है।

73--(1) कोई व्यक्ति--

(क) निगम या किसी जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझ कर न तो किसी निर्माण-कार्य के लिये निशानबन्दी करने से रोकेंगे और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेगा अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा; अथवा

(ख) जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक निगम या किसी जल संस्थान के किसी ताले, टॉटी, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य कार्य या साधित्र को न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुँचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेंगे, न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्य प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(ग) निगम या किसी जल संस्थान के किसी जल कल से प्रवाहित जल या ऐसा जल संभरित करने वाले जल मार्ग के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा, न उससे जल बहायेगा, न निकालेगा न उसे मोड़ेगा और न ही उससे जल लेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या किसी जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तदधीन किसी जल-कल के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जाँच करने के लिये आवश्यक साधन देने से इन्कार करेगा और न उसे प्रस्तुत करने में जानबूझ कर उपेक्षा करेगा; अथवा

(ङ) किसी जल कल के भीतर, उस पर, या उसके ऊपर न तो नहायेगा, न घुलाई करेगा, न उसमें किसी पशु को फेंकेगा और न उसमें किसी पशु को प्रवेश करायेगा अथवा किसी जल कल में न तो कोई कचरा, धूल या गलीज फेंकेगा, और न उसमें कोई कपड़ा, ऊन या चमड़ा या किसी पशु की खाल की घुलाई या सफाई करेगा अथवा किसी हीदी या नाली या किसी वाष्प इंजन या स्वायलर का पानी अथवा किसी अन्य दूषित जल को किसी जल कल की ओर न तो ले जाने देगा और न उसमें मिलाने देगा और न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जिससे किसी भी जल-कल का पानी दूषित हो जाय अथवा उसके दूषित होने की संभावना हो।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) की कोई बात किसी ऐसे उपभोक्ता के सम्बन्ध में जो अपने भू-गृहादि को जल सम्भरित करने वाले सेवा पाइप पर लगाई गई रोक टॉटी को बन्द करता हो, तब लागू न होगी यदि उसने किसी ऐसे उपभोक्ता की, जिसके जल संभरण पर टॉटी बन्द करने का प्रभाव पड़ता हो, सहमति प्राप्त कर ली हो।

अध्याय 8

सीवर व्यवस्था

74--किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी, भू-गृहादि के सीवेज को जल संस्थान के सीवर में गिराने का हकदार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा करने के पूर्व, वह--

(क) जल संस्थान की लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ले और उपविधियों के अनुसार, संयोजन फीस का भूगतान कर दे; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तों का जिनकी व्यवस्था उपविधियों द्वारा की जाय, अनुपालन करे।

75--यदि जल संस्थान की राय में किसी भू-गृहादि में सीवेज के प्रभावकारी निस्तारण के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं और जल संस्थान का सीवर भू-गृहादि के किसी भाग से पचास मीटर की दूरी पर स्थित है तो जल संस्थान लिखित नोटिस द्वारा, उक्त भू-गृहादि के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार सीवर संयोजन करा ले।

76--कोई व्यक्ति, जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना, जल संस्थान के किसी सीवर से कोई शंयोजन या संचार न तो करेगा और न करायेगा।

कतिपय कार्यों का प्रतिबंध

सीवर से संयोजित करने का स्वामी या अध्यासी का अधिकार

स्वामी से सीवर संयोजन लेने की अपेक्षा करने की शक्ति

सीवर से संयोजित करने का प्रतिबंध

सीवर के ऊपर भवन निर्माण करने का प्रतिषेध

सीवर या मल कूप के संवातन के लिये नाल (शाफ्ट) आदि लगाने की शक्ति

क्षोषयुक्त प्रतीत होने वाले सीवर आदि की परीक्षा तथा जांच करने की शक्ति

कतिपय कार्यों का प्रतिषेध

प्रवेश, सर्वेक्षण आदि करने की शक्ति

77--(1) कोई व्यक्ति जल संस्थान की अनुज्ञा के बिना जल संस्थान के किसी सीवर के ऊपर कोई असावजनिक मार्ग, भवन या अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

(2) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 327 और 333 के उपबन्ध, उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों मुख्य नगर अधिकारी के प्रति निर्देश के लिये जल संस्थान के ऐसे अधिकारी के, जिसे वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट करें, प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हों।

78--जल संस्थान किसी सीवर या मल कूप के लिये, चाहे वह जल संस्थान में स्थित हो या नहीं, संवातन के प्रयोजनार्थ, कोई नाल या पाइप, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, किसी भू-गृहादि पर खड़ा कर सकता है अथवा किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ पर लगा सकता है।

79--(1) यदि जल संस्थान को यह प्रतीत हो कि यह विश्वास करने का युक्ति-युक्त आधार है कि कोई असावजनिक या सीवर मलकूप ऐसी दशा में है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकर है या जो अपदूषण है अथवा जल संस्थान के सीवर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचार करने वाला कोई असावजनिक सीवर इतना दोषपूर्ण है जिससे कि उसमें अवभूमि-जल या कंकड़ या अन्य पदार्थ आते हों तो वह उसकी दशा के बारे में परीक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी जांच कर सकता है, जो दशावयुक्त जल द्वारा की जाने वाली जांच न हो, और यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो भूमि को खोद सकता है।

(2) (क) यदि परीक्षा करने पर सीवर या मल कूप उचित स्थिति में पाया जाय तो जल संस्थान, यथाशक्यशीघ्र, भूमि को, जो उसके द्वारा खोदी गई हो, पूर्व स्थिति में लायेगा और अपने द्वारा हुई क्षति के लिये प्रतिकर का अवधारण और उसका भुगतान करेगा।

(ख) यदि इसके विपरीत, इस प्रकार परीक्षित सीवर या मलकूप दोषपूर्ण पाया जाय तो, जल संस्थान शीघ्र ही उसका काम करना रोक सकता है या उसे जल संस्थान के सीवर से विसंयोजित कर सकता है या स्वामी अथवा अध्यासी से ऐसी प्रतिकारी कार्यवाही, जैसी कि जल संस्थान द्वारा निर्देशित की जाय ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, करने की अपेक्षा कर सकता है और किसी ऐसी दशा में जल संस्थान अपने द्वारा किया गया व्यय, यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

(3) यदि इस प्रकार अवधारित धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जल संस्थान विवाद को निगम को निर्विष्ट करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

80--कोई व्यक्ति--

(क) इस अध्याय के अधीन जल निगम या जल संस्थान के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जानबूझ कर न तो किसी निर्माण कार्य के लिये निशानबन्दी करने से रोकेंगे और न ऐसे कार्य के सम्बन्ध में निशानबन्दी के प्रयोजन से भूमि पर स्थापित किये गये किसी स्तम्भ, खम्भे या रोक को उखाड़ेगा या हटायेंगे अथवा उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा; अथवा

(ख) जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक किसी ताले, वाल्व, पाइप, या अन्य कार्य या साधनों को, जो निगम या जल संस्थान के हों तथा इस अध्याय के अधीन उसके कृत्यों से सम्बद्ध हों, न तो तोड़ेगा, न क्षति पहुंचायेगा, न मोड़ेगा, न खोलेगा, न बन्द करेगा, न हटायेंगे और न ही अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(ग) निगम या जल संस्थान के किसी ऐसे सीवेज सम्बन्धी कार्य के बहाव में विधि विरुद्ध तथा न तो बाधा डालेगा, न उससे पानी बहायेगा, न अन्यत्र ले जायेगा, न उसे मोड़ेगा और न ही उससे कोई गन्दगी निकालेगा; अथवा

(घ) इस अध्याय के अधीन निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा उसके कर्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तद्धीन किसी सीवेज सम्बन्धी कार्य के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिये आवश्यक साधनों को प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा और न जान-बूझ कर उपेक्षा करेगा।

81--(1) निगम या जल संस्थान का उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी सहायकी या कर्मचारियों के साथ या उनके बिना, किसी भू-गृहादि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकता है :-

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने;

(ख) सतह मालूम करने;

(ग) अवभूमि खोदने या बेघने;

उप
उप
कर
कर
जा
न
इस
या
नि
स
हो
डा
कर
या
प्रति
निग
म
पा
सम
कल
हुय
कर
या
उप
के
जम
नि
हो

(घ) सीमाओं तथा निर्माण-कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने;
(ङ) चिन्ह बनाकर या छाइयां काटकर ऐसी सतहों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्हांकित करने; अथवा

(च) कोई अन्य कार्य करने जो इस अधिनियम या किसी नियम या विनियम या उपविधियों के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि--

(1) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भवन में इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायगा;

(2) किसी निवास गृह या स्थान में उसके अध्यासी व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की कम से कम चौबीस घंटे की सूचना दिये बिना प्रवेश नहीं किया जायगा;

(3) निवास गृह के किसी भी भाग में रहने वाली महिलाओं को वहां से हटाने के लिये समुचित अवसर तथा सुविधा दी जायगी; और

(4) जिस भू-गृहादि में प्रवेश किया जाय, उसके अध्यासी व्यक्तियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहां तक संभव हो, यथोचित ध्यान रखा जायगा ।

(2) जब कभी निगम या जल संस्थान का उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त उपधारा के अनुसरण में किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करे तो वह इस प्रकार प्रवेश करने के समय उपर्युक्त किसी कार्य से होने वाली क्षति के लिए, यदि कोई हो, भुगतान करेगा या भुगतान निश्चित करेगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में विवाद हो, तो ऐसा विवाद निगम की दशा में, निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निदिष्ट किया जायगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसी भू-गृहादि में या उस पर प्रवेश करने का हकदार हो तो वह उसी प्रकार किसी संलग्न भू-गृहादि में या उस पर भी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी कार्य के लिये या वहां कोई मिट्टी, प्रस्तर विशेष या अन्य पदार्थ इकट्ठा करने अथवा ऐसे कार्य पर पहुंचने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जो उसके निष्पादन से सम्बद्ध हो, प्रवेश कर सकता है ।

(4) किसी अधिकारी के लिये जो किसी स्थान में प्रवेश करने के सम्बन्ध में निगम या जल संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत हो, कोई दरवाजा, फाटक या अन्य अवरोध खोलना या खुलवाना बंध होगा. यदि--

(क) वह समझता हो कि इस प्रकार प्रवेश करने के लिये उसका खोला जाना आवश्यक है; तथा

(ख) स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो या उपस्थित होते हुए भी ऐसा दरवाजा या फाटक खोलने या ऐसा अवरोध हटाने से इन्कार करता हो ।

(5) इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हुये, यथासंभव, न्यूनतम क्षति पहुंचायेगा और ऐसी क्षति के लिये प्रतिकर, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उक्त भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी को या दोनों को देय होगा और यदि प्रतिकर की धनराशि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उक्त विवाद निगम की दशा में निगम के अध्यक्ष को और जल संस्थान की दशा में जल संस्थान के अध्यक्ष को निदिष्ट किया जायेगा ।

82--(1) निगम या जल संस्थान द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी टंकी, पोखरे या कुये की सफाई या विसंक्रमण, उसके स्वामी या अध्यासी को, यदि कोई हो, नोटिस देने के पश्चात् उस समय करा सकता है जब उसे यह प्रतीत हो कि ऐसी सफाई या विसंक्रमण किसी भी भयानक रोग को फैलाने से बचायेगा या रोकेंगे ।

(2) उपधारा (1) में निदिष्ट सफाई या विसंक्रमण कराने का ध्येय उक्त टंकी, पोखरे या कुये के स्वामी या अध्यासी से बसल किया जा सकेगा ।

अध्याय 9

शास्ति तथा प्रक्रिया

83--कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि अपराध किये जाने के पश्चात् अगले छः महीने के भीतर, यथास्थिति, निगम या जल संस्थान द्वारा उसका परिवाद न किया जाय ।

84--कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस, आदेश या अधिपत्रिका का अनुरालन नहीं करता है, तो उसे जमाने का जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और अपेक्षित जुर्माने का जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जब प्रयत्न दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहे पचास रुपये तक हो सकता है, दण्ड दिया जायगा ।

टंकी, पोखरों तथा कुओं को विसंक्रमित करने की शक्ति

अपराधों का संज्ञान

सामान्य शास्ति

कम्पनियों द्वारा
अपराध

35—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी बण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किए जाने को रोकने के लिये सभी सम्बन्ध उपाय किए ।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुये भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मोनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की उपेक्षा पर आरोप्य है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "डायरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

अपना नाम तथा पता न बताने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति

86—(1) यदि कोई व्यक्ति जिसने निगम या जल संस्थान के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया हो अथवा जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध करने का दोष लगाया गया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को कोई ऐसा अपराध करने का युक्ति युक्त सबूत हो, ऐसे अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम और पता बताने से इंकार करे या न बताये अथवा ऐसा नाम या पता बताये जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो ऐसा अधिकारी उसका नाम या पता अथवा दोनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 की उपधारा (2) और (3) और धारा 43, 48, 56, 57, 58 और 59 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उसकी धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

अपराधों का शमन

87—(1) यथास्थिति, प्रबन्ध निदेशक, या महाप्रबन्धक अथवा निगम या किसी जल संस्थान द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तोकाय-वाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर जिसके अन्तर्गत शमन कीस का भुगतान किया जाना भी है, जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है ।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया जा चुका हो, तो अपराधी, यदि अनिरक्षा में हो उन्मुक्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार शमनित अपराधी के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अपराध कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के कर्तव्य

88—एसे सभी पुलिस अधिकारियों और स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का जिनके स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया जाय या करने का प्रयास किया जाये, यह कर्तव्य होगा कि वे जल संस्थान को या जल संस्थान के तदर्थ प्राधिकृत अधिकारियों को, यथास्थिति, ऐसे अपराध के किये जाने की या ऐसा अपराध करने का प्रयास किये जाने की तुरन्त सूचना दें और ऐसे सभी अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता दें ।

अध्याय 10

वाह्य नियंत्रण

नीति विषयक प्रश्नों पर निगम को निवेश

89—(1) अपने कर्तव्यों का पालन करने में निगम नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निवेशों द्वारा पथ प्रदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निवेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

90--(1) निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायेगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की संभावना हो, और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

निगम द्वारा
वार्षिक रिपोर्ट,
आंकड़े, विवरणियां
तथा अन्य सूचना

(2) निगम, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और निगम के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा निगम के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ध्योरे, जिसकी राज्य सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

91--(1) अपने कर्तव्यों का पालन करने में जल संस्थान नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ-प्रदर्शित होगा जो उसे निगम द्वारा दिये जायें।

नीति विषयक
प्रश्नों पर जल
संस्थान को निदेश

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके संबंध में निगम उपधारा (1) के अधीन निदेश दे सकता है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

92--(1) जल संस्थान, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा निगम निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायगा, तैयार करेगा और उसे निगम को प्रस्तुत करेगा, और रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में जल संस्थान द्वारा हाथ में लिये जाने की संभावना हो।

जल संस्थान की
रिपोर्ट, आंकड़े,
विवरणियां तथा
अन्य सूचना

(2) जल संस्थान, निगम को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा निगम निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और जल संस्थान के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा जल संस्थान के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ध्योरे, जिसकी निगम समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

93--(1) सभी स्थानीय निकाय, निगम या किसी जल संस्थान को ऐसी मदद और ऐसी सहायता देंगे तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए (और यदि आवश्यक हो तो उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए), ऐसे अभिलेख, मानचित्र, नक्शे और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करेंगे जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अपेक्षित हों।

सहायता देने का
स्थानीय निकायों
का कर्तव्य

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक स्थानीय निकाय नांग किये जाने पर भू-गृहादि के वार्षिक मूल्य का निर्धारण और कर, फीस तथा परिव्यय उद्गृहीत करने के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची तथा अन्य संगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके उद्धरण मूल्य पर उपलब्ध करायेगी।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य ऐसी विधि में जिसके अधीन कोई स्थानीय निकाय गठित किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसा निदेश दे सकती है जो उसकी राय में निगम या किसी जल संस्थान को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक या समीचीन हो और तदुपरान्त उस स्थानीय निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

94--किसी ऐसे मामले में जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से व्यवस्था न की गई हो, निगम या जल संस्थान किसी ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त प्रतिकर का भुगतान कर सकता है, जिसे निगम या जल संस्थान में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निहित किसी शक्ति का प्रयोग करने के कारण क्षति पहुंची हो।

प्रतिकर का
भुगतान करने के
लिए सामान्य
शक्ति

95--कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, निगम या जल संस्थान अथवा निगम या जल संस्थान के अध्यक्ष या अन्य सदस्य, या राज्य सरकार या निगम या जल संस्थान के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपविधि के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए तात्पर्यित अथवा आशयित हो।

सद्भावना से
किये गये कार्य का
संरक्षण

कंपनी
के प्रति
विशेष
व्यवस्था
अथवा
न कोई
किसी
वा ऐसे
कारो
ने और
त का
है।
विशेष
अपराध
व्यवस्था
ने पर
सम्बन्ध
नीति का
संहिता
59 का
42 का
नी जल
को कार्य
अपराध
तन्तु व
में ही
अपेक्ष
जिनके
प्रयास
को
तत्स
प्रमाण
द्वारा
नहीं
होगा

अध्याय 12

नियम, विनियम तथा उपविधियां

नियम बनाने की शक्ति

96—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन लेखा परीक्षक की शक्तियां;

(ख) धारा 51 के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसक सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था, यदि कोई हो, भी है;

(ग) प्रक्रिया जिसका धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के लिए जल संस्थान या किसी अन्य अभिकरण द्वारा अनुसरण किया जायगा, जिसके अन्तर्गत कर निर्धारण सूचियों का अधिप्रमाणीकरण तथा उनकी अभिरक्षा, ऐसी सूचियों का पुनरीक्षण और कालावधि, ऐसी सूचियों का संशोधन और परिवर्तन और कर-निर्धारण के सम्बन्ध में विवाद की दशा में अपील भी है;

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाय जान के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशूचनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशूचन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विनियम

97—(1) निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम या जल संस्थान के कार्य-कलापों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(2) विशेषतः, और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) निगम या जल संस्थान की बैठकें बुलाना और करना, समय और स्थान जहाँ पर ऐसी बैठकें की जायें, ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और बैठकों में गणपूर्ति के लिए व्यक्तियों की आवश्यक संख्या;

(ख) निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) संविदा पर सेवायोजित कर्मचारियों से भिन्न निगम या जल संस्थान के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(घ) निगम या जल संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध;

(ङ) निगम या जल संस्थान की ओर से संविदाओं और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्रों का निष्पादन;

(च) वह सीमा जिस तक प्रबन्ध निदेशक या महा प्रबन्धक किसी वित्तीय वर्ष में आवर्तक या अनावर्तक व्यय, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विवरण-पत्र में सम्मिलित किये गये बिना, कर सकेंगे;

(छ) निगम या जल संस्थान द्वारा लेखों का रखा जाना और पक्का चिट्ठा तैयार किया जाना;

(ज) इस अधिनियम के अधीन निगम या जल संस्थान के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए प्रक्रिया;

(झ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन निगम या जल संस्थान द्वारा कोई विनियम न बनाये जाय, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्हीं विनियमों में निगम या जल संस्थान उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकता है या उन्हें विखंडित कर सकता है।

98—निगम या जल संस्थान, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, सर्वसाधारण को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत उपविधियां बना सकता है, और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

उप-विधियां

(क) धरलू तथा अन्य प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के निबन्धन एवं शर्तें;

(ख) मीटरों का लगाया जाना और उनके संयोजन को अन्तरित करना; और उनका प्रयोग, अनुरक्षण, जांच करना, संयोजन काटना और उसका पुनः संयोजन, उसके सम्बन्ध में फीस, किराया तथा अन्य परिव्यय जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा प्रतिभूति देना भी है और उससे सम्बद्ध विषय;

(ग) निगम या जल संस्थान के सीवर से संयोजन के लिए दी जाने वाली फीस और ऐसे संयोजन के लिए अन्य निबन्धन एवं शर्तें;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए उपविधियों में व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

अध्याय 13

संक्रमणकालीन उपबन्ध तथा निरसन

संक्रमणकालीन
उपबन्ध

99—(1) सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए धारा 18 के अधीन कोई जल संस्थान गठित किया गया हो, ऐसे गठन के दिनांक के पूर्व जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है, आरोपित जल कर अथवा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कर, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, तथा उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसे कर अथवा जल सम्भरण अथवा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना, नोटिस, आदेश, निदेश, नियम, उपविधि अथवा प्रपत्र, जिसके अन्तर्गत कोई कर-निर्धारण अथवा छूट या संयोजन, संयोजन काटना या पुनः संयोजन का आदेश जो किया गया हो या स्वीकृत हो अथवा किसी भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी पर आरोपित शास्ति अथवा किसी नल मिस्त्री को जारी किया गया कोई लाइसेन्स, अथवा तत्सम्बन्धी कोई आदेश भी है, जो स्थानीय क्षेत्र की अधिकारितायुक्त स्थानीय निकाय पर प्रयोज्य विधि के उपबन्धों के अधीन हो तथा उक्त दिनांक के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध जल संस्थान ऐसे कर के आरोपण अथवा निर्धारण के निमित्त अथवा ऐसे लाइसेन्स स्वीकृत करने अथवा संयोजन दिये जाने के निमित्त अथवा ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के निमित्त कोई अन्य व्यवस्था न करे अथवा आदेश न दे अथवा अन्य कार्यवाही या कार्य न करे, तथा ऐसी अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, उपविधि अथवा लाइसेन्स के विषय में सम्बन्धित स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जायगा जनातीं वह सम्बद्ध जल संस्थान के प्रति निर्देश है, तथा विशेषतः ऐसे कर एवं फीस की आय सम्बन्धित स्थानीय निकाय की निधि में जाने के बजाय सम्बद्ध जल संस्थान की निधि में जायेगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ और 15 अगस्त, 1976 के बीच की अवधि में कोई नियम, विनियम या उपविधि धारा 96, धारा 97 या धारा 98 के अधीन, यथास्थिति 20 मई, 1975 से पूर्व नहीं पड़ने वाले किसी दिनांक से पूर्वगामी प्रभाव से बनाए जा सकते हैं।

(3) यह 20 मई, 1975 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

निरसन तथा
संशोधन

100--धारा 99 में की गई व्यवस्था के तिराव, उस दिनांक को और से जब कोई जल संस्थान गठित किया जाय, जिसमें--

उ० प्र० अधि-
नियम संख्या 2,
1959

(क) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित नगर हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त अधिनियम की धारायें 114 और 115 और अध्याय 10, 11, 19, 23 और 25;

यू० पी० ऐक्ट,
संख्या 2, 1916

(ख) यूनाइटेड प्राविसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथापरिभाषित कोई म्युनिसिपैलिटी हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त ऐक्ट की धारायें 7 और 8 और अध्याय 5, 7 और 9;

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या
2, 1914

(ग) संयुक्त प्रान्त टाउन एरियाज अधिनियम, 1914 में यथापरिभाषित कोई टाउन एरिया हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त अधिनियम की धारायें 3, 14, और 25 और अध्याय 5 और 6;

यू० पी० ऐक्ट
संख्या 2, 1916

(घ) यूनाइटेड प्राविसेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में यथापरिभाषित कोई नोटोफाइड एरिया हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त नोटोफाइड एरिया के सम्बन्ध में यथा-परिष्कृत तथा प्रसारित खण्ड (ख) में निर्दिष्ट उक्त ऐक्ट के उपबन्ध;

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
33, 1961

(ङ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में यथा-परिभाषित, यथास्थिति, कोई खण्ड या किसी जिले का ग्रामीण क्षेत्र हो, उसके सम्बन्ध में,--उक्त अधिनियम के अध्याय 3, 7, 9 और 14;

(च) यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 में यथा परिभाषित गांव सभा की अधिकारिता के अन्तर्गत कोई क्षेत्र हो, उसके सम्बन्ध में,-- उक्त ऐक्ट के अध्याय 4 और 5 के उपबन्ध;

उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम द्वारा जल संस्थान को अभ्यर्पित शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य जिसके अन्तर्गत उक्त कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के प्रयोजनार्थ किसी सम्पत्ति को कब्जे में रखने की शक्ति भी है, यथास्थिति, महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटोफाइड एरिया कमेटी, क्षेत्र समिति, जिला परिषद् या गांव सभा की शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के बाहर थे।

जल सम्भरण तथा
सीवर व्यवस्था
सम्बन्धी निधि

101--(1) धारा 100 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक स्थानीय निकाय की जहाँ जल सम्भरण या सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाएँ या दोनों ही हों, एक पृथक निधि होगी जिसे "जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी निधि" कहा जायगा, जो स्थानीय निधि समझी जायेगी तथा जिसमें ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा ऐसी सेवाओं की प्रोन्नति, संचालन, अनुरक्षण तथा उनके प्रबन्ध के लिए प्राप्त सभी धनराशियों को तथा ऐसे समस्त राजस्व को भी जो उपर्युक्त सेवायें किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हों, जमा किया जायगा।

(2) उपर्युक्त निधि में जमा की गयी धनराशि का उपभोग अनन्य रूप से जल सम्भरण अथवा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के प्रयोजनों के लिए अथवा दोनों के लिए ही किया जायगा।

कठिनाइयों को
दूर करना

102--(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, विशेषतः धारा 100 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में, आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम अथवा उक्त अधिनियमितियाँ उस अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो परिष्कार, परि-वर्द्धन अथवा तोप के रूप में हो सकते हैं, तथा जिनसे मूलार्थ पर प्रभाव न पड़ता हो, और जिनसे वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के उपरान्त न दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन तथा
अपवाद उत्तर प्रदेश
अध्यादेश सं०
10, 1975

103--(1) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (द्वितीय) अध्यादेश, 1975 एतद्वारा निरसित किया जाता है;

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम 20 मई, 1975 से प्रवृत्त हो गया था।

No. 3133(2)/XVII-V-1-20-75

Dated Lucknow, September 8, 1975

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Sewer Vyavastha Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 43 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 7, 1975 :

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 43 OF 1975)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

to provide for the establishment of a Corporation, authorities and organisations for the development and regulation of water supply and sewerage services and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975. Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh excluding cantonment areas.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint in that behalf, and different dates may be appointed in respect of different provisions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

definitions

(1) "cess-pool" includes a settlement tank or other tank to receive or dispose of foul matters from any premises ;

(2) "communication pipe" means any pipe or system of pipes along with all fittings thereto, by means of which water is supplied to any premises from the main and includes a connection pipe, service pipe, meter or other fittings ;

(3) "connection pipe" means any water pipe from a ferrule to stop-cock connecting the main of the local body, Jal Sansthan or Nigam, as the case may be, with the service pipe ;

(4) "consumer" means any person getting the benefit of any water supply or sewerage service from the local body, Jal Sansthan or the Nigam, as the case may be ;

(5) "domestic sewage" means waste water from residences, boarding and lodging houses, hostels, hotels, public places, offices and all such

establishments as are not a part of any trade or industry, and arising out of personal and normal human activities such as drinking, bathing, ablution, washing and cooking ;

(6) "drain" includes a sewer, tunnel, pipe, ditch, gutter or channel or a cistern, flush-tank, septic tank, or other device for carrying off or treating sewage, offensive matter, polluted water, sullage, waste water or sub-soil water, and also includes any culvert, ventilation shaft or pipe or other appliances or fittings connected with such drain, and any ejectors, compressed air mains, sealed sewage mains and special machinery or apparatus for raising, collecting, expelling or removing sewage or offensive matter from any place ;

(7) "ferrule" means a ferrule connecting the connection pipe with the main ;

(8) "General Manager" means General Manager of a Jal Sansthan appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 20 ;

(9) "Jal Sansthan", means a local authority constituted by the State Government under section 18 to perform its functions under this Act in one or more local areas ;

(10) "Local Self-Government Engineering Department" and "Community Development Department" mean the departments with these names under the State Government ;

(11) "local area" means the area falling within the jurisdiction of a local body ;

(12) "local body" means a Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee, Notified Area Committee, Zila Parishad, Kshettra Samiti, or a Gaon Sabha ;

(13) "main" means a pipe laid by the local body, Jal Sansthan or Nigam, as the case may be, for the purpose of giving a general supply of water as distinct from a supply to individual consumers, and includes any apparatus used in connection with such a pipe ;

(14) "Managing Director" means Managing Director of the Nigam, appointed under clause (a) of sub-section (2) of section 4 ;

(15) "Nigam" means the Uttar Pradesh Jal Nigam established under section 3 ;

(16) "occupier" in relation to any premises includes the following—

(a) any person for the time being paying or liable to pay rent or any portion thereof to the owner in respect of those premises ;

(b) an owner who is in occupation of those premises ;

(c) a tenant of those premises who is exempt from payment of rent ;

(d) a licensee who is in occupation of those premises ; and

(e) any person, who is liable to pay damages to the owner in respect of use and occupation of those premises ;

(17) "owner" in relation to any premises means the person who receives the rent of the said premises or who would be entitled to receive the rent thereof if the premises were let, and includes—

(a) an agent or trustee who receives such rent on account of the owner ;

(b) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with the management of, any premises devoted to religious or charitable purposes ;

(c) a receiver or manager appointed by any court of competent jurisdiction to have the charge of, or to exercise, the rights of an owner of, the said premises, and

(d) a mortgagee-in-possession ;

(18) "premises" means any land or building ;

(19) "prescribed" means prescribed by rules ;

(20) "prescribed authority" means any authority appointed by the State Government, by notification in the *Gazette*, to perform all or any of the functions of the prescribed authority ;

(21) "private street", "public street" and "street" in relation to any local area, have the same meanings as in law relating to the local body having jurisdiction over that local area ;

(22) "regulations" means regulations made under this Act ;

(23) "rules" means rules made under this Act ;

(24) "service pipe" means any pipe other than the connection pipe beyond the stop-cock by means of which the water is supplied to any premises ;

(25) "sewage" means night-soil and other contents of water-closets, latrines, privies, urinals, cess-pools, or drains, and polluted water from sinks, bath-rooms, stables, and other like places, and includes trade effluents ;

(26) "sewer" means a closed conduit for carrying sewage, offensive matter, polluted water, waste water or sub-soil water ;

(27) "sewerage" means a system of collection of waste water from a community from its houses, institutions, industry and public places, the pumping treatment and disposal of such waste water, its effluent, sludge, gas and other end products ;

(28) "stock-cock" means a stop-cock fitted at the end of connection pipe away from the main for the purpose of switching off and regulating the water supply to any premises ;

(29) "trade effluent" means any liquid either with or without particles of matters in suspension therein, which is wholly or in part produced or discharged in the course of any trade or industry, including agriculture and horticulture, but in does not include domestic sewage ;

(30) "water connection" includes—

(a) any tank, cistern, hydrant, stand-pipe, meter or tap, situated on any private property and connected with a main or other pipe belonging to Jal Sansthan ; and

(b) the water pipe connecting such a tank, cistern, hydrants, stand-pipe, meter or tap, with such main or pipe ;

(31) "water supply" means a system of providing water to a community for meeting its requirement for drinking and other domestic uses, industry, recreation and various public uses ;

(32) "waterworks" includes water channel (including stream, lake, spring, river or canal, well, pump, galleries, reservoir, cistern, tank), duct, whether covered or open, treatment units sluice, supply main, culvert, engine, water-truck, hydrants, stand-pipe, conduit and machinery, land, building or other things for supplying or used for supplying water or for protecting sources of water supply or for treatment of water.

CHAPTER II

Establishment, Conduct of Business, Functions and Powers of the Nigam

Establishment of the Nigam. 3. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette* and with effect from a date to be specified therein, constitute a corporation by the name of the Uttar Pradesh Jal Nigam.

(2) The Uttar Pradesh Jal Nigam shall be a body corporate by the said name, having perpetual succession and a common seal, and shall sue and be sued by the said name and have the power to acquire, hold or dispose of property.

(3) The Nigam shall for all purposes be deemed to be a local authority.

(4) The Nigam shall have its head office at Lucknow and may have offices at such other places as it may consider necessary.

Constitution of the Nigam. 4. (1) The Nigam shall consist of a Chairman appointed by the State Government besides the members specified in sub-section (2).

(2) The members other than the Chairman shall be as follows, namely :—

(a) a Managing Director (to be appointed by the State Government), who shall be a qualified engineer having administrative experience and also the experience of water supply and sewerage works ;

(b) a Finance Director (to be appointed by the State Government), who shall have experience of matters relating to finance and accounts ;

(c) the Secretary to the State Government in the Finance Department, *ex-officio* ;

(d) the Secretary to the State Government in the Local Self-Government Department, *ex-officio* ;

(e) the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh, *ex-officio* ;

(f) the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh, *ex-officio* ;

(g) three elected heads of local bodies in the State, to be nominated by the State Government.

(3) The appointment of the Chairman and members other than *ex-officio* members shall be notified in the *Gazette*.

(4) A member referred to in clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (2) may, instead of attending a meeting of the Nigam himself, depute an officer, not below the rank of Deputy Secretary in his Department, in the case

of a member referred to in clause (c) or clause (d), and not below the rank of Additional Director in the case of a member referred to in clause (f), to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.

5. A person shall be disqualified for being chosen as and for being the Chairman or other member of Nigam if he—

Disqualification
for being Chairman
or other member.

- (a) has been convicted of an offence involving moral turpitude ;
- (b) is an undischarged insolvent ;
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court ;
- (d) holds, except as provided in sections 6 and 7, any office of profit under the Nigam ;
- (e) has, directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee, any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment with, by or on behalf of the Nigam ; or
- (f) is a director or secretary, manager or other officer of any company which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Nigam ;

Provided that a person shall not be disqualified under clause (e) or clause (f) by reason only of his or the company of which he is a director, secretary, manager, or other officer, having a share or interest in—

- (i) any sale, purchase, lease or exchange of immovable property or any agreement for the same ;
- (ii) any agreement for loan of money or any security for payment of money only ;
- (iii) any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Nigam, is published ;
- (iv) the occasional sale to the Nigam up to a value not exceeding ten thousand rupees in any one year, of any article in which he or the company regularly trades.

6. (1) The Chairman of the Nigam, unless appointed *ex-officio*, shall hold office for three years unless his term is determined earlier by the State Government by notification in the *Gazette*, and shall be eligible for re-appointment.

Terms of office of
Chairman and
other members.

(2) A person nominated under clause (g) of sub-section (2) of section 4 shall, unless his term is determined earlier by the State Government, hold office for a period of three years or until the expiry of his term of office as elected head of the local body concerned, whichever is earlier, but shall be eligible for re-appointment.

(3) The members appointed under clause (a) and clause (b) of sub-section (2) of section 4 shall hold office on such terms and conditions as the State Government may, by order, specify.

(4) The Chairman or any other member as aforesaid may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office, and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

7. (1) The Chairman and the members appointed under clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 4, shall be paid from the Nigam's fund such remuneration, if any, as may be fixed by the State Government.

Other provisions
regarding office of
the Chairman and
other members.

(2) If the Chairman or any other member as aforesaid is by infirmity or otherwise rendered temporarily incapable of carrying out his duties or is absent on leave otherwise in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint another person to officiate for him and to carry out his functions under this Act.

Appointment of employees.

8. (1) Subject to the provision of sub-section (2), the Nigam may appoint such employees as it considers necessary on such terms and conditions as it thinks fit for the efficient performance of its functions :

Provided that the appointment of such employees as the State Government may, by general or special order, specify shall be made and their terms and conditions shall be determined with the approval of the State Government.

(2) The Nigam may, with the previous approval of the State Government, appoint a servant of the Central Government or the State Government as an employee of the Nigam on such terms and conditions as it thinks fit.

Supervision and control over employees.

9. Subject to the superintendence of the Nigam, the Chairman shall have the general control and direction over, and subject thereto, the Managing Director shall have control over, all other employees of the Nigam.

Authentication of orders and other instruments of the Nigam.

10. (1) All proceedings of the Nigam shall be authenticated by the signature of the Chairman and all orders and other instruments of the Nigam shall be authenticated by the signature of the Managing Director or such other officer of the Nigam as may be authorised in this behalf by regulations.

(2) The Nigam may invite any person to attend a meeting of the Nigam for the purpose of assisting or advising it on any matter, and the person so invited may take part in any proceedings of the Nigam but shall have no right to vote.

Delegation of powers.

11. Subject to the provisions of this Act, the Nigam may by general or special order, delegate, either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by itself, as may be specified in the order, to any committee appointed by it or to the Chairman or the Managing Director or any other officer of the Nigam such of its powers and duties under this Act as it deems fit, not being its powers and duties under sections 46, 49 and 50.

Disqualification for participation in proceedings of the Nigam on account of interest.

12. (1) The Chairman or any other member of the Nigam or of a committee appointed by the Nigam who—

(a) has any share or interest of the nature described in clause (e) or clause (f) of section 5 in respect of any matter, or

(b) has acted professionally, in relation to any matter on behalf of any person having therein any such share or interest as aforesaid,

shall not, notwithstanding anything contained in the proviso to section 5, vote or take part in any proceeding (including any discussion on any resolution or question) of the Nigam or any committee thereof relating to such matter.

(2) If any member of the Nigam or of a Committee appointed by the Nigam has directly or indirectly any interest in, any area in which it is proposed to acquire land for any of the purposes of this Act, he shall not take part in any meeting of the Nigam or any committee thereof in which any matter relating to such land is considered.

(3) Nothing in sub-section (1) or sub-section (2) shall prevent any member of the Nigam or any committee thereof from voting on, or taking part in the discussion of, any resolution or question relating to any subject other than the subject referred to in those sub-sections.

13. No act done or proceeding taken under this Act by the Nigam or a committee appointed by the Nigam shall be invalidated merely on the ground of—

Acts not to be invalidated by informality, vacancy, etc.

- (a) any vacancy or defect in the constitution of the Nigam or any committee thereof ; or
- (b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof ; or
- (c) any defect or irregularity in such act or proceeding, not affecting the substance.

14. The functions of the Nigam shall be the following, namely :—

Functions of the Jal Nigam.

- (i) the preparation, execution, promotion and financing the schemes for the supply of water and for sewerage and sewage disposal ;
- (ii) to render all necessary services in regard to water supply and sewerage to the State Government and local bodies, on request to private institutions or individuals ;
- (iii) to prepare State plans for water supply, sewerage and drainage on the directions of the State Government ;
- (iv) to review and advise on the tariff, taxes and charges of water supply in the areas of Jal Sansthans and local bodies which have entered into an agreement with the Nigam under section 46 ;
- (v) to assess the requirement for materials and arrange for their procurement and utilisation ;
- (vi) to establish State standards for water supply and sewerage services ;
- (vii) to perform all functions, not stated herein which were being performed by the Local Self-Government Engineering Department before the commencement of this Act ;
- (viii) to review annually the technical, financial, economic and other aspects of water supply and sewerage system of every Jal Sansthan or local bodies which has entered into an agreement with the Nigam under section 46 ;
- (ix) to establish and maintain a facility to review and appraise the technical, financial, economic and other pertinent aspect of every water supply and sewerage scheme in the State ;
- (x) to operate, run and maintain any water works and sewerage system, if and when directed by the State Government, on such terms and conditions and for such period as may be specified by the State Government ;
- (xi) to assess the requirements for manpower and training in relation to water supply and sewerage services in the State ;
- (xii) to carry out applied research for efficient discharge of the functions of the Nigam or a Jal Sansthan ;
- (xiii) any other functions entrusted to the Nigam by or under this Act ; and
- (xiv) such other functions as may be entrusted to the Nigam by the State Government by notification in the *Gazette*.

15. (1) The Nigam shall, subject to the provisions of this Act have power to do anything which may be necessary or expedient for carrying out its functions under this Act.

Powers of the Jal Nigam

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such power shall include the power—

- (i) to inspect all water supply and sewerage facilities in the State by whomsoever they are operated ;
- (ii) to obtain such periodic or specific information from any local body and operating agency as it may deem necessary ;
- (iii) to provide training for its own personnel as well as employees of the local bodies ;
- (iv) to prepare and carry out schemes for water supply and sewerage ;

(v) to lay down the schedule of fees for all services rendered by the Nigam to the State Government, local bodies, institutions or individuals ;

(vi) to enter into contract or agreement with any person, firm or institution, as the Nigam may deem necessary, for performing its functions under this Act ;

(vii) to adopt its own budget annually ;

(viii) to approve tariffs for water supply and sewerage services applicable to respective local areas comprised within the jurisdiction of Jal Sansthans and such local bodies as have entered into an agreement with the Nigam under section 46 ;

(ix) to borrow money, issue debentures to obtain subventions and grants and manage its own funds ;

(x) to disburse loans to local bodies for their water supply and sewerage schemes ;

(xi) to incur expenditure and to grant loans and advances to such persons or authorities as the Nigam may deem necessary for performing the functions under this Act.

Power to call for reports and information.

16. (1) The Nigam may call for such reports and information from a Jal Sansthan or local body as the Nigam may consider necessary and after considering them, issue such directions to such Jal Sansthan or local body as may be considered necessary.

(2) (a) The directions so issued shall be complied with by the Jal Sansthan or local body concerned as speedily as possible.

(b) In case such Jal Sansthan or local body disagrees with such direction or experiences any difficulty in complying with the same, it shall refer the matter to the State Government whose decision thereon shall be final.

Supervision and centage charges,

17. The Nigam may include in the cost of any scheme or work the execution or further execution whereof is undertaken under clause (i) of section 14, supervision and centage charges at such rate not exceeding such limit as may be prescribed, as it may determine under clause (v) of sub-section (2) of section 15.

CHAPTER III

Establishment, Conduct of Business, Functions and Powers of Jal Sansthans

Establishment of Jal Sansthans.

18. (1) If in the opinion of the State Government, local conditions so require and it is considered necessary or expedient for the improvement of water supply and sewerage services in any area, it may constitute a body to be known as Jal Sansthan for that area.

(2) A Jal Sansthan shall be constituted by notification in the *Gazette* and with effect from the date specified therein.

(3) A Jal Sansthan may be constituted under sub-section (1) to have jurisdiction over the local area or any part thereof, of one or more local bodies as the State Government may specify in the said notification.

(4) A Jal Sansthan shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the name of " (short name of the area specified in the said notification) Jal Sansthan" and have the power to acquire, hold, or dispose of property.

(5) A Jal Sansthan shall for all purposes be deemed to be a local authority.

(6) A Jal Sansthan shall have its head office at the place specified in the notification under sub-section (1).

(7) A Jal Sansthan may also have sub-offices at such places within its jurisdiction as it may consider necessary.

(8) The State Government may, where it considers necessary or expedient in the public interest so to do, by notification in the *Gazette*, and with effect from the date specified in the notification—

(a) include any area in, or exclude any area from, the area of a Jal Sansthan specified in the notification under sub-section (1);

(b) divide the area of a Jal Sansthan specified in the notification under sub-section (1) into area of two or more separate Jal Sansthans;

(c) amalgamate the areas of two or more Jal Sansthans specified in the notification under sub-section (1) into the area of one Jal Sansthan; or

(d) declare that any part in the area of a Jal Sansthan specified in the notification under sub-section (1) shall cease to be such area.

19. (1) On an application by a Nagar Mahapalika or a municipal board in that behalf the State Government may, by notification in the *Gazette*, confer the powers of a Jal Sansthan on such Nagar Mahapalika or board with effect from a date to be specified in the notification, and where such a notification is issued, such Nagar Mahapalika or board shall perform the functions and exercise the powers of a Jal Sansthan in respect of its local area:

Conferring the powers of a Jal Sansthan on Nagar Mahapalikas and municipal boards.

Provided that sections 20, 21, 22, 33 and 38 shall not apply to such a Nagar Mahapalika or municipal board.

(2) In the event of any inconsistency between the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, or the U. P. Municipalities Act, 1916, as the case may be, and this Act in respect of the activities of the Nagar Mahapalika or municipal board as a Jal Sansthan, the provisions of this Act shall prevail.

20. (1) A Jal Sansthan shall consist of a Chairman appointed by the State Government besides the members specified in sub-section (2).

Constitution of a Jal Sansthan.

(2) The members other than the Chairman shall be as follows :—

(a) the Collector of the district in which the Head Office of the Jal Sansthan is situated, *ex-officio*;

(b) the senior most officer of the Community Development Department having his headquarters within the area of the Jal Sansthan ;

(c) a General Manager, to be appointed by the Nigam with the approval of the State Government who shall be a qualified engineer having administrative experience and also the experience of water supply and sewerage works ;

(d) a representative of the Nigam ; and

(e) three elected heads or the members of the local bodies falling within the jurisdiction of the Jal Sansthan, nominated by the State Government.

21. The provisions of section 5 relating to the disqualifications for being Chairman or other member of the Nigam shall *mutatis mutandis* apply in relation to the offices of Chairman and other members of the Jal Sansthan also.

Disqualifications.

22. (1) The Chairman of a Jal Sansthan, unless appointed *ex-officio*, shall hold office for three years unless his term is determined earlier by the State Government, by notification in the *Gazette*, and shall be eligible for reappointment.

Term of office.

(2) A member nominated under clause (e) of section 20 shall, unless his term is determined earlier by the State Government, by notification in the *Gazette*, hold office for a period of three years or until the expiry of his term of office as elected member of the local body concerned, whichever is earlier.

(3) The member appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 20 shall hold office on such terms and conditions as the State Government may by order specify.

(4) The Chairman or any other member of a Jal Sansthan may at any time by writing under his hand addressed to the State Government resign his office, and on such resignation being accepted he shall be deemed to have vacated his office.

Remuneration.

23. (1) The Chairman and such other members of a Jal Sansthan, if they work whole-time for the Jal Sansthan shall be paid from the funds of the Jal Sansthan such remuneration, if any, as may be fixed by the State Government.

(2) If the Chairman or any other member of a Jal Sansthan is by infirmity or otherwise rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave otherwise in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint any other person to officiate for him and to carry out his functions under this Act.

Functions of a Jal Sansthan.

24. The functions of a Jal Sansthan shall be as follows :—

(i) to plan, promote and execute schemes of and operate an efficient system of water supply ;

(ii) where feasible, to plan, promote and execute schemes of, and operate, sewerage, sewage treatment and disposal and treatment of trade effluents ;

(iii) to manage all its affairs so as to provide the people of the area within its jurisdiction with wholesome water and where feasible, efficient sewerage service ;

(iv) to take such other measures, as may be necessary, to ensure water supply in times of any emergency ;

(v) such other functions as may be entrusted to it by the State Government by notification in the *Gazette*.

Powers of a Jal Sansthan.

25. (1) Every Jal Sansthan shall, subject to the provisions of this Act, have power to do anything which may be necessary or expedient for carrying out its functions under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision such powers shall include the power—

(i) to exercise all powers and perform all the functions relating to water supply, sewerage and sewage disposal of the area which lies within its jurisdiction ;

(ii) to acquire, possess and hold lands and other property and to carry any water or sewerage works through, across, over or under any highway, road, street or place and, after reasonable notice in writing to the owner or occupier, into, through, over or under any building or land ;

(iii) to abstract water from any natural source and dispose of waste water ;

(iv) to enter into contract or agreement with any person or body as the Jal Sansthan may deem necessary ;

(v) to adopt its own budget annually ;

(vi) to introduce or amend tariff for water supply and sewerage services, subject to approval of the Nigam and collect all taxes and charges for these services as may be prescribed ;

(vii) to incur expenditure and manage its own funds ;

(viii) to obtain loans, advances, subventions and grants from the Nigam.

Delegation of powers.

26. Subject to the provisions of this Act, a Jal Sansthan may, by general or special order, delegate, either unconditionally or subject to such conditions as may be specified in the order, including the power of review by itself, to any committee appointed by it or to the General Manager or any other officer of the Jal Sansthan such of its powers and duties under this Act as it may deem fit, not being its powers and duties under sections 44 and 50.

Appointment of Employees.

27. (1) The Jal Sansthan may appoint such employees as it considers necessary, and on such terms and conditions as it thinks fit, for the efficient performance of its functions :

Provided that the appointment of such employees as the State Government may, by general or special order, specify shall be made, and their terms and conditions shall be determined, with the approval of the State Government.

(2) Subject to general control and direction of the Chairman, the supervision and control over all employees of the Jal Sansthan shall be vested in the General Manager.

28. (1) All proceedings of the Jal Sansthan shall be authenticated by the signature of the Chairman and all orders and other instruments of the Jal Sansthan shall be authenticated by the signature of the General Manager or such other officer of the Jal Sansthan as may be authorised in this behalf by regulations.

Authentication of orders and other instruments of the Jal Sansthan.

(2) The Jal Sansthan may invite any person to attend a meeting of the Jal Sansthan for the purpose of assisting or advising it on any matter, and the person so invited may take part in any proceedings of the Jal Sansthan but shall have no right to vote.

29. No act done or proceeding taken under this Act by the Jal Sansthan or a committee appointed by the Jal Sansthan shall be invalidated merely on the ground of—

Act not to be invalidated by informality, vacancy, etc.

(a) any vacancy or defect in the constitution of the Jal Sansthan or any committee thereof ; or

(b) any defect or irregularity in the appointment of a person acting as a member thereof ; or

(c) any defect or irregularity to such act or proceeding, not affecting the substance.

30. Subject to the provisions of this Act, any dispute arising between the Jal Sansthan and the consumer shall be referred to the Nigam whose decision shall be final.

Disputes with consumers.

CHAPTER IV

Vesting of Properties, Assets, Liabilities and Obligations and transfer of Employees

31. (1) As from June 18, 1975, the date of establishment of the Nigam, hereinafter in this Chapter referred to as "the appointed date",—

Vesting and transfer of property to Nigam.

(a) all properties and assets (including waterworks, buildings, laboratories, stores, vehicles, furnitures and other furnishing) which immediately before the appointed date were vested in the State Government for the purposes of the Local Self-Government Engineering Department shall vest in and stand transferred to the Nigam ; and

(b) all the rights, liabilities and obligations of the State Government whether arising out of any contract or otherwise pertaining to the said departments shall be the rights, liabilities and obligations of the Nigam.

(2) Such properties, assets, rights, liabilities and obligations shall be valued in such manner as the State Government may determine.

(3) All suits and other legal proceedings instituted or defended or which might but for vesting and transfers under sub-section (1) have been instituted or defended by or against the State Government, may be continued or instituted or defended by or against the Nigam.

32. Where any doubt or dispute arises as to whether any property or asset has vested in the Nigam under section 31 or any rights, liabilities or obligations have become the rights, liabilities and obligations of the Nigam under that section, such doubt or dispute shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

Decision of the State Government on the vesting of property to be final.

33. (1) Wherever a Jal Sansthan is constituted by the State Government under section 18—

(a) all the existing water supply services, and where the Jal Sansthan undertakes the functions specified in clause (ii) of section 24, all the existing sewerage services, sewage works and sewage farms, including, as the case may be, all plants, machineries, waterworks, pumping stations, filter beds, water mains and public sewers in, along, over or under any public street, and all buildings, lands and other works, materials, stores and things appertaining thereto, belonging to or vested in every local body within the area of the Jal Sansthan ;

Vesting of existing water supply and sewerage services in Jal Sansthan.

(b) so much of the sub-soil appertaining to the said water mains and sewers as may be necessary for the purpose of enlarging, deepening, or otherwise repairing or maintaining, any such water mains and sewers or any pipes and other appliances and fittings connected with such water supply and sewerage services, and sewage works and sewage farms ; and

(c) all rights, liabilities and obligations of such local body relating to the things mentioned in clauses (a) and (b) including the right to recover arrears of water tax and sewerage tax, by whatever name called, and of any cost or fees relating to water supply and sewerage services and also including liabilities arising from any loans advanced by the Government or any other person to the said local body for the things aforesaid other than loans diverted to or utilised for purposes other than those referred to in clauses (a) and (b),

shall with effect from the date of the constitution of the Jal Sansthan (hereinafter in this Chapter referred to as "the said date"), vest in and stand transferred to the Jal Sansthan and be subject to its control.

(2) Such properties, assets, rights, liabilities and obligations shall be valued in such manner as the State Government may determine.

(3) Where any doubt or dispute arises as to whether any property, or asset has vested in the Jal Sansthan under sub-section (1) or any rights, liabilities or obligations have become the rights, liabilities or obligations of the Jal Sansthan under this section, such doubt or dispute shall be referred to the State Government whose decision shall be final and binding on the Jal Sansthan and the local body concerned.

Jal Sansthan to assume obligations of local authority in respect of matters to which this Act applies.

34. All debts and obligations incurred, all contracts entered into and things engaged to be done by, with or for any local body before the said date in respect of any of the functions specified in section 24 shall be deemed to have been incurred, entered into or engaged to be done, by, with or for the Jal Sansthan, and all suits or other legal proceedings instituted or which might but for vesting and transfer under sub-section (1) of section 33, have been instituted or defended by or against the local body, may be continued or instituted or defended by or against the Jal Sansthan.

Co-ordination of activities of Jal Sansthan and other local bodies.

35. If the State Government is of opinion that it is in the public interest that a Jal Sansthan and other local body having jurisdiction over contiguous areas should co-ordinate their activities in relation to water supply services, or sewerage services, or both, it may issue such directions to such Jal Sansthan and other local body concerned as it may think fit, and it shall be the duty of that Jal Sansthan and other local body to comply with such direction.

Special powers of Nigam in relation to its re-lending operations.

36. Where an agreement entered into between a Jal Sansthan or local body and the Nigam under section 46 so provides, the Nigam shall, without prejudice to its right under section 49, have further power to recover directly any arrears of water tax, sewerage tax and of any cost or fee relating to water supply and sewerage services due to the Jal Sansthan or local body in order to enable the Nigam to recover its dues.

Transfer of employees Nigam.

37. (1) Save as otherwise provided in this section, every person, who was employed in the Local Self-Government Engineering Department of the State Government shall on and from the appointed date become employee of the Nigam and shall hold his office or service therein by the same tenure, at the same remuneration and upon same other terms and conditions, and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held the same on the appointed date if this Act has not come into force, and shall continue to do so until his employment in the Nigam is terminated or until his remuneration or other terms and conditions of services are revised or altered by the Nigam under or in pursuance of any law or in accordance with any provision which for the time being governs his service.

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any such employee, who, by notice in writing given to the State Government within such time as the State Government may, by general or special order, specify, intimates his intention of not becoming an employee of the Nigam :

Provided further that the services of any employee referred to in the preceding proviso under the State Government shall stand terminated on account of abolition of the post held by him and he shall be entitled from the State Government to compensation equivalent—

(a) in the case of a permanent employee, to three month's remuneration ;

(b) in the case of a temporary employee, to one month's remuneration

(2) The sums standing to the credit of the employees referred to in sub-section (1) in any pension, provident fund, gratuity or other like funds constituted for them shall be transferred by the State Government to the Nigam along with any accumulated interest due till the appointed date and with the accounts

relating to such funds and the Nigam shall, to the exclusion of the State Government, be liable for payment of pension, provident fund, gratuity or other like sums as may be payable to such employees at the appropriate time in accordance with the conditions of their service.

(3) Notwithstanding anything contained in the U. P. Industrial Disputes Act, 1947, or in any other law for the time being in force, the transfer of services of any employee to the Nigam under sub-section (1) shall not entitle any such employee to any compensation under that Act or such other law and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or authority.

(4) Every permanent or temporary employee of the Local Self-Government Engineering Department of the State Government under sub-section (1) shall on and from the appointed date, be a permanent or temporary employee of the Nigam, as the case may be, against a permanent or temporary post which shall stand created in the establishment of the Nigam with effect from the appointed date.

(5) An employee referred to in the first proviso to sub-section (1) shall be deemed to have continued to be in the service of the State Government between the appointed date and the date of abolition of posts under the second proviso to that sub-section, but the State Government shall be entitled to reimbursement from the Nigam of the remuneration paid by it to such employee for that period and also of the compensation referred to in the second proviso to that sub-section.

(6) Nothing in paragraph 426 or paragraph 436 of the Civil Service Regulations as applicable to Government servants under the rule making control of the State Government in relation to retrenchment or abolition of posts shall, except to the extent provided in this section, apply to any employee referred to in sub-section (1).

(7) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections—

(a) the services of no person who was employed in the Local Self-Government Engineering Department of the State Government immediately before the appointed date against whom any disciplinary proceeding was pending or to whom any notice or order of termination of his services or compulsory retirement had been issued before the appointed date shall stand transferred to the Nigam on or from the appointed date and such persons may be dealt with after the appointed date in such manner and by such authority as the State Government may by general or special order specify in this behalf;

(b) if the services of any employee of the State Government stand transferred under sub-section (1) to the Nigam, the Nigam shall be competent after such transfer to take such disciplinary or other action as it thinks fit against or in respect of such employee having regard to any act or omission or conduct or record of such employee while he was in service of the State Government.

38. (1) Save as otherwise provided in this section, every person (excluding a member of a service created under section 69-B of the U. P. Municipalities Act, 1916, and section 112-A of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959) who was employed exclusively in connection with water supply or sewerage services or sewage works or sewage farms under a local body for the local areas of which a Jal Sansthan has been constituted shall, on and from the said date, become an employee of the Jal Sansthan and shall hold his office or service therein by the same tenure, at the same remuneration and upon the same other terms and conditions, and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as he would have held the same on the said date if the aforesaid water supply and sewerage services, sewage works and sewage farms had not been transferred to and vested in the Jal Sansthan, and shall continue to do so until his employment in the Jal Sansthan is terminated or until his remuneration or other terms and conditions of service are revised or altered by the Jal Sansthan under or in pursuance of any law or in accordance with any provision which for the time being governs his service :

Transfer of employees to Jal Sansthan.

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any such employee who, by notice in writing given to the State Government within such time as the State Government may, by general or special order, specify, intimates his intention of not becoming an employee of the Jal Sansthan :

Provided further that the services of any employee referred to in the preceding proviso under the local body, shall stand terminated on account of

abolition of the post held by him and he shall be entitled from that local body to compensation equivalent—

- (a) in the case of a permanent employee, to three months' remuneration;
- (b) in the case of a temporary employee, to one month's remuneration;

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1) but subject to any express agreement to the contrary, any person referred to therein, other than a workman as defined in the U. P. Industrial Disputes Act, 1947, who becomes an employee of the Jal Sansthan shall be liable to be transferred from any establishment or undertaking in which he was employed immediately before the said date to any other establishment or undertaking belonging to the Jal Sansthan at the same remuneration and on the same other terms and conditions as govern him immediately before such transfer.

(3) If any question arises as to whether any person was exclusively employed in connection with the aforesaid water supply and sewerage services, sewage works and sewage farms under the local body immediately before the said date, it shall be decided by the State Government.

(4) The sums standing to the credit of the employees referred to in sub-section (1) in any pension, provident fund, gratuity or other like funds constituted for them shall be transferred by the local body concerned to the Jal Sansthan along with any accumulated interest due till the said date and with the accounts relating to such fund and the Jal Sansthan shall, to the exclusion of the local body, be liable for payment of pension, provident fund, gratuity or other like dues as may be payable to such employees at the appropriate time in accordance with the conditions of their service.

(5) Notwithstanding anything contained in the U. P. Industrial Disputes Act, 1947, or, in any other law for the time being in force, the transfer of services of any employee to the Jal Sansthan under sub-section (1) shall not entitle any such employee to any compensation under that Act or such other law, and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or authority.

(6) Every permanent or temporary employee of a local body becoming an employee of a Jal Sansthan under sub-section (1) shall, on and from the said date be a permanent or temporary employee of the Jal Sansthan, as the case may be, against a permanent or temporary post which shall stand created in the establishment of the Jal Sansthan with effect from the said date.

(7) An employee referred to in the first proviso to sub-section (1) shall be deemed to have continued to be in the service of the local body concerned between the said date and the date of abolition of posts under the second proviso to that sub-section, but the local body shall be entitled to reimbursement from the Jal Sansthan of the remuneration paid by it to such employee for that period and also of the compensation referred to in the second proviso to that sub-section.

(8) Nothing in para 426 or para 436 of the Civil Service Regulations as applicable to Government servants or in any other rules relating to employees of the local bodies in relation to retrenchment or abolition of posts shall except to the extent provided in this section, apply to any employee referred to in sub-section (1).

(9) Notwithstanding anything contained in section 69-B of the U. P. Municipalities Act, 1916, and section 112-A of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, or in the rules relating to centralised services made under the said sections, every person belonging to a centralised service referred to in the said sections and rules shall be bound to serve on deputation with such Jal Sansthan or the Nigam, as the case may be, to which his services are for the time being lent by an order of the Director of Local Bodies, Uttar Pradesh, and no such employee shall be entitled to any deputation or other allowances merely on the ground of such deputation, and subject thereto, they shall continue to remain the members of the centralised service on the same terms and conditions as before being placed on such deputation.

(10) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections—

- (a) the services of no person who was employed under any local body immediately before the appointed date against whom any disciplinary proceeding was pending or to whom any notice or order of termination of his services or compulsory retirement had been issued before the appointed date shall stand transferred to the Jal Sansthan on or from the appointed date, and such persons may be dealt with after the appointed date, in such manner and by such authority as the State Government may by general or special order specify in this behalf.

(b) if the services of an employee of a local body stand transferred under sub-section (1) to the Jal Sansthan, the Jal Sansthan shall be competent after such transfer to take such disciplinary or other action as it thinks fit against or in respect of such employee having regard to any act or omission or conduct or record of such employee while he was in the service of the local body.

CHAPTER V

Property, Contract, Finance, Accounts and Audits

39. Every contract or assurance of property on behalf of the Nigam or a Jal Sansthan shall be in writing and executed by such authority and in such manner as may be provided by regulations.

Execution and registration of contracts, etc.

40. (1) The Nigam shall have its own fund to be called the Nigam Fund, which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received otherwise than by way of loans by or on behalf of the Nigam.

Nigam's funds.

(2) The Nigam shall also have another fund to be called the Loan Fund, which shall also be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Nigam by way of loans.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Nigam may, with the previous approval of the State Government, constitute such other funds as may be necessary for the efficient performance of its functions under this Act.

41. Every Jal Sansthan shall have its own fund which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Jal Sansthan.

Jal Sansthan's Fund.

42. The Nigam shall not, as far as practicable and after taking credit for any grant or subvention from the State Government under section 43 carry on its operation under this Act at a loss.

General principles for Jal Nigam's Finance.

43. (1) The State Government may, after due appropriation by law of the State Legislature, from time to time make grants and subventions to the Nigam for the purposes of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.

Grants and subventions to the Nigam and Jal Sansthan.

(2) The State Government shall not make any subventions and grants to any local body or Jal Sansthan for purposes of water supply and sewerage services except through the Nigam.

44. A Jal Sansthan shall from time to time so fix and adjust its rates of taxes and charges under this Act as to enable it to meet, as soon as feasible, the costs of its operations, maintenance and debt service and where practicable to achieve an economic return on its fixed assets.

General principles for Jal Sansthan's Finance.

45. The State Government may from time to time advance loans to the Nigam on such terms and conditions, not inconsistent with provisions of this Act as the State Government and the Nigam may agree upon.

Loans to the Nigam.

46. (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force under which any local body is constituted and except as otherwise provided in sub-section (5), the Nigam shall, with effect from the date of its establishment, be the only local authority authorised to borrow any sum of money for water supply and sewerage services:

Power of the Jal Nigam to borrow and relend.

Provided that a local body having jurisdiction over a local area not included within the jurisdiction of a Jal Sansthan may with the approval of the State Government, which shall consult the Nigam before giving such approval, borrow any sum of money for such services.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the Nigam may, from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as the State Government may, by general or special order determine, borrow any sum required for the purposes of this Act, whether by the issue of bonds or stock or otherwise or by making arrangements with bankers or other bodies or institutions approved by the State Government for this purpose.

(3) Stock issued by the Nigam under this section shall be issued, transferred, dealt with and redeemed in such manner as the State Government may, by general or special order, direct.

(4) The Nigam may advance any part of such borrowings to any local body for the performance of functions relating to water supply and sewerage services on such terms and conditions as the Nigam may determine.

(5) Where the Nigam has borrowed any sum for advancing loans to a Jal Sansthan or a local body for water supply and sewerage services, the Nigam shall transfer such loans to such Jal Sansthan or local body at such terms and rates of interest, in such amount and subject to such conditions of repayment as the Nigam and the Jal Sansthan or the local body may by agreement provide, for the efficient promotion, execution, operation and maintenance of water supply and sewerage services in its area.

Depreciation
reserve

47. The Nigam and every Jal Sansthan shall create a depreciation reserve and make annual provision therefor in accordance with such principles as may be prescribed.

Government as
Guarantor.

48. The State Government may guarantee the repayment of any loan and payment of interests on all loans made or transferred to the Nigam for the purposes of this Act.

Direct manage-
ment by Nigam.

49. (1) Where any Jal Sansthan or local body which is under a liability to the Nigam under any agreement makes any default in repayment of any loan or advance or any instalment thereof or otherwise to comply with the terms of the agreement with the Nigam, the Nigam may request the State Government for action under this section.

(2) The State Government on receiving a request from the Nigam under sub-section (1) may, after giving an opportunity of explanation to the Jal Sansthan or local body concerned, direct that the Nigam shall take over the management of the water supply or sewerage services or both, as the case may be, of that Jal Sansthan or local body and realise its dues through such management, and such order shall have effect for such period not exceeding three years as may be specified by the State Government :

Provided that the State Government may by order extend the period of operation of its original order from time to time so however that such extension shall not exceed two years in the aggregate.

(3) Where the management of water supply or sewerage services of any Jal Sansthan or local body is taken over by the Nigam or any dues are realised by it under the provisions of sub-section (1), all costs, charges and expenses properly incurred by it as incidental to such management and realisation shall be recoverable from the Jal Sansthan or local body and the money which is received by it from such management and realisation shall, in the absence of any contract to the contrary, be held by it in trust to be applied, firstly, in payment of such costs, charges and expenses and secondly, in discharge of the debt due to the Nigam and residue of the money so secured shall be paid to the Jal Sansthan or local body entitled thereto.

(4) Where an order is passed under sub-section (2), the Jal Sansthan or local body concerned and its employees engaged in the water supply or sewerage services or both, as the case may be, shall forthwith comply with such order, and at the request of the Nigam the Collector of the district may take all necessary steps for securing to the Nigam the possession of any property or asset, book of account, register or document relating to such services and, in particular, may use or cause to be used such force as may be necessary.

Accounts
audit.

50. (1) The Nigam and a Jal Sansthan shall before the commencement of, and may at any time during a financial year, prepare a statement or a supplementary statement, as the case may be, of programme of its activities during that year as well as a financial estimate in respect thereof and the same shall be submitted in the case of Nigam to the State Government and in the case of Jal Sansthan to the Nigam in such manner, in such form and by such dates as the State Government may, by general or special order direct, for the previous approval of the State Government or the Nigam, as the case may be :

Provided that in the event of such previous approval not being received before the commencement of the financial year for which such financial statement has been submitted, the Nigam or the Jal Sansthan, as the case may be, shall be entitled to expend on all accounts up to an amount not exceeding the amount approved for the corresponding period of the previous financial year, and such amount shall not include any sum spent out of the grants and subventions during the said period.

(2) The Nigam and a Jal Sansthan shall cause to be maintained such proper books of account and other books in relation to its accounts and prepare the balance-sheet in such form and manner as the regulations may require.

21

(3) The accounts of the Nigam and a Jal Sansthan shall be audited by such Auditor, in such manner and at such times as the State Government may, by general or special order, direct, and the Auditor so appointed shall have such powers of requiring the production of documents and the furnishing of information respecting such matters, and shall have such powers in respect of disallowance and surcharge as may be prescribed.

(4) The accounts of the Nigam and a Jal Sansthan, as certified by the Auditor together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government and the Nigam respectively, who may issue such directions to the Nigam or the Jal Sansthan, as the case may be, as it may deem fit, and the Nigam or the Jal Sansthan shall comply with such directions.

(5) The State Government shall—

(a) cause the accounts of the Nigam together with the audit report thereon, received by it under sub-section (4) to be laid annually before each House of the State Legislature, and

(b) cause the accounts of the Nigam to be published in such manner as it thinks fit.

51. (1) The Chairman and other members, officers and employees of the Nigam, or, as the case may be, of the Jal Sansthan, shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Nigam or the Jal Sansthan if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct while acting as such Chairman, or other member or officer or employee.

Surcharge.

(2) The procedure of surcharge shall be such as may be prescribed.

(3) Any amount found to be involved in such loss, waste or misapplication as a result of proceedings for surcharge shall be recoverable as arrears of land revenue.

(4) Nothing in sub-section (3) shall prevent the Nigam or the Jal Sansthan from deducting any amount referred to therein from any sum payable by the Nigam or the Jal Sansthan on account of remuneration or otherwise to such Chairman or other member or officer or employee.

CHAPTER VI

Taxes, Fees and Charges

52. (1) For the purposes of this Act, a Jal Sansthan shall levy, on premises situated within its area :—

Taxes leviable.

(a) where the area is covered by the water supply services of Jal Sansthan, a water tax ; and

(b) where the area is covered by the sewerage services of Jal Sansthan, a sewerage tax.

(2) The taxes mentioned in sub-section (1) shall be levied at such rate which in the case of water tax shall be not less than 6 per cent and not more than 14 per cent and in the case of sewerage tax shall be not less than 2 per cent and not more than 4 per cent of the assessed annual value of the premises as the Government, may from time to time, after considering the recommendation of the Nigam, by notification in the *Gazette*, declare.

53. (1) For the purposes of section 52, annual value means—

Assessment of annual value.

(a) in the case of railway stations, educational institutions (including their hostels and halls) factories (as defined in the Factories Act, 1948) and commercial establishments (as defined in the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1952), five per cent of the market value of the premises ;

(b) in the case of any other premises, the gross annual rent for which such premises are actually let or where the premises are not let, the gross annual rent for which the premises might reasonably be expected to be let :

Provided that the annual value in the case of premises occupied by the owner himself shall be deemed to be twenty-five per cent less than the annual value otherwise determined under this section.

(2) The annual value of premises for the purposes of the levy of taxes mentioned in section 52 shall be assessed by such authority as the State Government may, by general or special order direct, and such authority may be either the Jal Sansthan itself or any other agency may be specified in the order.

(3) Where the assessment is made by the Jal Sansthan or by any other agency the Jal Sansthan or such other agency shall follow the prescribed procedure.

(4) Until an assessment of the annual value of premises in any local area is made by the Jal Sansthan or any other agency specified under sub-section (2) the annual value of all premises in that local area, as assessed by the local body concerned for the purposes of house tax shall be deemed to be the annual value of the premises for the purposes of this Act as well.

(5) Where the annual value of premises in any local area is assessed by the Jal Sansthan or other agency specified under sub-section (2), it shall, subject to any variation therein on appeal under section 54, be deemed to be the annual value of the premises for the purposes also of house tax levied by the local body concerned, anything contained in the law constituting such local body notwithstanding.

Appeal against assessment.

54. (1) Any person aggrieved by an order of assessment made by a Jal Sansthan or any other agency under sub-section (2) of section 53 may, within thirty days from the date of such order, prefer an appeal to the prescribed authority.

(2) Where an appeal is preferred from an order of the Jal Sansthan or any other agency under sub-section (1), the prescribed authority may stay the enforcement of that order for such period and on such terms as it deems fit.

(3) The prescribed authority may, after giving to the parties an opportunity of being heard, confirm, set aside or modify the order under appeal.

(4) A decision of the prescribed authority under sub-section (3) shall be final and binding on the parties.

Restriction on levy of taxes.

55. The levy of taxes mentioned in section 52 shall be subject to the following restrictions, namely—

(a) they shall not be levied on any land exclusively used for agricultural purposes unless water is supplied by the Jal Sansthan for such purposes to that land;

(b) the water tax shall not be levied on any premises—

(i) of which no part is within a radius of ~~one hundred metres~~ ^{the} ~~prescribed~~ metres from the nearest standpost or other waterworks at which water is made available to the public by the Jal Sansthan, or

(ii) the annual value of which does not exceed ~~one hundred~~ ^{one} ~~fifty rupees~~ ^{and less} ~~and which no water is supplied by the Jal Sansthan~~

(c) the sewerage tax shall not be levied on any premises—

(i) of which no part is within a radius of one hundred metres from the nearest sewer of the Jal Sansthan, or

(ii) the annual value of which does not exceed one hundred fifty rupees.

Liability for payment of taxes.

56. The taxes mentioned in section 52 shall be recoverable—

(a) in the case of premises connected with water supply or, as the case may be, with the sewer of a Jal Sansthan, from the occupier of the premises;

(b) in the case of premises not so connected, from the owner of the premises.

Consolidation of taxes.

57. For the purpose of assessing or collecting the two taxes, mentioned in section 52, a Jal Sansthan may consolidate both taxes.

Application of certain provisions of U.P. Act II of 1959.

58. The provisions of sections 178, 214, 215, 222, 223 and 226 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, shall *mutatis mutandis*, apply in relation to the taxes mentioned in section 52, as they apply to the property taxes described in section 178 of that Adhiniyam, and references in the said provisions to the Mahapalika and the Mukhya Nagar Adhikari shall be construed respectively as references to the Jal Sansthan and such officer of the Jal Sansthan as may be authorised by it in that behalf.

Cost of water.

59. (1) A Jal Sansthan shall, by notification in the *Gazette*, fix the cost of water to be supplied by it according to its volume, and also the minimum cost to be charged in respect of each connection.

(2) A Jal Sansthan may, in lieu of charging the cost of water according to volume, accept a fixed sum for a specified period on the basis of expected consumption of water during that period.

Amended by
U.P. Act No 15 of 1977

60. (1) A Jal Sansthan shall, by notification in the *Gazette*, fix the cost of disposal of waste water according to its volume (which shall be such percentage of the volume of total water supplied to the consumer as may be prescribed), and also the minimum cost to be charged in respect of such disposal. Cost of disposal of waste water.

(2) A Jal Sansthan may, in lieu of charging the cost of disposal of waste matter according to the basis stated in sub-section (1) accept a fixed sum for a specified period on the basis of expected disposal of waste water during that period.

61. A Jal Sansthan may provide water meters and charge such rent for the meter as may be provided in the bye-laws. Meter Rent.

62. A Jal Sansthan may demand such sum as security from the consumer in connection with the supply of meter or for sewer connection as provided by bye-laws provided that the Jal Sansthan shall pay interest at such rate as the Nigam may, from time to time, determine, on any sum so deposited with it. Security.

63. A Jal Sansthan may charge such fees for connection, disconnection, re-connection of any water supply or sewer or testing or supervision or for any other service rendered or work executed or supervised as may be provided by bye-laws. Fees.

64. (1) Any sum due to a Jal Sansthan on account of tax, fee, cost of water, cost of disposal of waste water, meter-rent, penalty, damage or surcharge under this Act, shall be recoverable as arrears of land revenue. Recovery of taxes and other sums due.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect the power of a Jal Sansthan to cut off in accordance with its bye-laws, the connection of water supply in the event of non-payment by the consumer of any dues referred to in that sub-section.

CHAPTER VII

Water Supply

65. The supply of water for domestic purposes under this Act means supply for any purpose except the following, namely:— Definition of supply of water for domestic purposes.

- (a) for any trade, manufacture or business ;
- (b) for gardens or for purposes of irrigation ;
- (c) for building purposes including construction of streets ;
- (d) for fountains, swimming baths, public baths or tanks or for any ornamental or mechanical purpose ;
- (e) for animals, where they are kept for sale or hire or for the sale of their produce ;
- (f) for the consumption and use at a restaurant or by inmates of a hotel, boarding house or residential club ;
- (g) for the consumption and use by persons resorting to theatres and cinemas ;
- (h) for watering streets ; or
- (i) for washing vehicles where they are kept for sale or hire.

66. (1) A Jal Sansthan shall, on an application made in that behalf by the owner or occupier of any premises, grant supply of water for domestic purposes for— Supply of water by Jal Sansthan.

(a) any premises situated within a distance of thirty metres from an existing main ; or

(b) where the applicant undertakes to bear the cost of any extension which may be necessary beyond a distance of thirty metres for connecting the premises with the nearest existing main, any premises situated beyond such distance.

Explanation—The Jal Sansthan shall bear the cost of extension only in respect of so much distance, not exceeding thirty metres, as is sufficient to connect the nearest existing main with the outer limit of the premises.

(2) Notwithstanding that the cost of any extension has been borne under clause (b) of sub-section (1) by the person to whom water is supplied, the property therein shall vest in the Jal Sansthan.

(3) The Jal Sansthan may on an application made in that behalf, grant supply of water for any purposes other than domestic purposes.

(4) The supply of water for domestic or other purposes shall be subject to such terms and conditions as may be provided by bye-laws.

(5) Notwithstanding anything in the bye-laws referred to in sub-section (4), the Jal Sansthan may supply water to the Government or any local authority or other statutory corporation or to any educational institution on such terms as to payment and as to the period and the conditions of supply as may be agreed upon.

Water Supply for domestic purposes not to be used for non-domestic purposes.

67. No person shall, except in such circumstances or subject to such conditions as may be provided by bye-laws use or allow to be used water supplied for domestic purposes for any other purpose.

Provision of fire hydrants.

68. (1) The Jal Sansthan may, at the request and expense of the owner or occupier of any factory, as defined in the Factories Act, 1948) or any shop or commercial establishment (as defined in the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962) provide and maintain fire hydrants together with all incidental works for the supply of water in case of fire in such factory, shop or commercial establishment and in any such case charge from such owner or occupier the cost of water supplied in connection therewith.

(2) The Jal Sansthan shall provide and maintain fire hydrants together with all incidental works for the supply of water in case of fire, at all such other places as it may consider necessary, and supply water in connection therewith.

Power to provide water meters.

69. (1) The Jal Sansthan may provide a water meter and attach the same to the service pipe in premises connected with waterworks of the Jal Sansthan.

(2) The expenses of installation and the rent to be payable for the use of a meter shall be paid by the consumer.

(3) The provision of meters or the transfer of connection thereof and their use, maintenance and testing and the expense of installation and their rents and the furnishing of security, if any, in connection therewith shall be regulated by bye-laws made in that behalf.

Licensed plumbers.

70. (1) No person other than a plumber licensed by the Jal Sansthan (hereinafter referred to as a licensed plumber) shall execute any work in respect of a water connection not being a work of a trivial nature and no person shall permit any such work to be executed by a person other than a licensed plumber.

(2) When any work is executed in contravention of the provisions of sub-section (1), such work shall be liable to be dismantled at the discretion of the Jal Sansthan.

Prohibition of wastage of water.

71. (1) No owner or occupier of any premises to which water is supplied by the Jal Sansthan shall cause or suffer any water to be wasted, or cause or suffer the service pipe or any tap or other fitting or work connected therewith to remain out of repair so as to cause wastage of water.

(2) Whenever the Jal Sansthan has reason to believe that as a result of defect in a service pipe or tap or other fitting or work connected therewith water is being wasted, the Jal Sansthan may by written notice require the consumer to repair and make good the defect within such time as may be specified.

(3) If such repair is not carried out within the time specified the Jal Sansthan may, without prejudice to any action against the consumer under any other provision of this Act, cause such repair to be made, and the cost of such repairs shall be realised from the consumer.

Power to cut off water supply.

72. (1) The Jal Sansthan may cut off the water supply from any premises—

(a) if any tax, fee, rental, cost of water or any charge or other sum due under this Act, is not paid within a period of fifteen days after service of a bill for the same ; or

(b) if after the receipt of a written notice from the Jal Sansthan requiring him to refrain from so doing, the consumer continues to use the water or to permit the same to be used in contravention of the provisions of this Act or any rule or regulations or bye-laws made thereunder ; or

(c) if the consumer damages or causes to be damaged the water meter or any connection pipe or ferrule ; or

(d) if the consumer refuses to admit any officer or servant of a Jal Sansthan duly authorised in this behalf into the premises which he proposes to enter for the purpose of executing any work or placing or removing any apparatus or of making any examination or enquiry in connection with the water supply or prevents any such officer or servant

from executing any work or placing or removing any apparatus or making such examination or enquiry ; or

(e) if the service pipe or any tap or other fitting or work connected therewith is found on examination by an officer or servant of the Jal Sansthan duly authorised in this behalf to be out of repair to such an extent as to cause wastage or contamination of water and immediate prevention thereof is necessary ; or

(f) if the consumer causes or allows to be caused the service pipe or any tap or other fitting or work connected therewith to be placed removed, repaired or otherwise interfered with, in contravention of the provisions of this Act or of the rules or regulations or bye-laws made thereunder ; or

(g) if by reason of leakage in the service pipe or any tap or other fitting or work, damage is caused to a public street and immediate prevention thereof is necessary.

(2) No action taken under or in pursuance of this section shall relieve a person from any penalty or liability which he may otherwise have incurred.

(3) The Jal Sansthan may reconnect the supply of water disconnected under sub-section (1) on payment of such charges and on such terms and conditions as may be provided by bye-laws.

73. (1) No person shall—

Prohibition of certain acts.

(a) wilfully obstruct any person acting under the authority of the Nigam or a Jal Sansthan in setting out the lines of any work or pull up or remove any pillar, post or stay fixed in the ground for the purpose of setting out the lines of such works, or deface or destroy any works made for the said purpose ; or

(b) wilfully or negligently break, injure, turn on, open, close, shut off or otherwise interfere with any lock, cock, valve, pipe, meter or other work or apparatus belonging to the Nigam or a Jal Sansthan ; or

(c) unlawfully obstruct the flow of or flush, draw off, or divert, or take water from any waterworks belonging to the Nigam or a Jal Sansthan or any water course by which any such water is supplied ; or

(d) obstruct any officer or other employee of the Nigam or a Jal Sansthan in the discharge of his duties under this Chapter or refuse or wilfully neglect to furnish him with means necessary for the making of any entry, inspection, examination or enquiry thereunder in relation to any waterworks ; or

(e) bathe in, at or upon any waterworks, or wash or throw or cause to enter therein any animal or throw any rubbish, dirt or filth into any waterworks, or wash or clean therein any cloth, wool or leather or the skin of any animal, or cause water of any sink, or drain or any steam engine or boiler or any other polluted water to turn or be brought into any waterworks, or do any other act whereby the water in any waterworks, is fouled or likely to be fouled.

(2) Nothing in clause (b) of sub-section (1) shall apply to a consumer closing the stop-cock fixed on the service pipe supplying water to his premises so long as he has obtained the consent of any other consumer whose supply be affected thereby.

CHAPTER VIII

Sewerage

74. The owner or occupier of any premises shall be entitled to empty sewage of the premises into a sewer of a Jal Sansthan provided that, before doing so, he,—

Right of owner or occupier to obtain sewer connection.

(a) obtains written permission of the Jal Sansthan and pays connection fee in accordance with the bye-laws ; and

(b) complies with such other conditions as may be provided by bye-laws.

Power to require owner to have sewer connection. 75 Where any premises are, in the opinion of a Jal Sansthan, without sufficient means of effectual disposal of sewage and the sewer of the Jal Sansthan is situated at a distance of fifty metres from any part of the premises, the Jal Sansthan may, by written notice, require the owner of the said premises to have sewer connection as provided by bye-laws.

Prohibition of connection with sewer. 76. No person shall without the permission of the Jal Sansthan make or cause to be made any connection or communication with any sewer of the Jal Sansthan.

Prohibition of construction of building over sewer. 77. (1) No person shall without the permission of the Jal Sansthan construct any private street, building or other structure on any sewer of the Jal Sansthan.

(2) The provisions of sections 327 and 333 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, shall *mutatis mutandis* apply in relation to any construction in contravention of sub-section (1) with the substitution of references to the Mukhya Nagar Adhikari by references to such officer of the Jal Sansthan as it may, by a general or special order, specify in that behalf.

Power to affix shaft, etc. for ventilation of sewer or cess-pool. 78. A Jal Sansthan may, for the purposes of ventilating any sewer or cess-pool, whether vested in the Jal Sansthan or not, erect upon any premises or affix to the outside of any building, or to any tree any shaft or pipes as may appear to it to be necessary.

Power to examine and test sewer etc. believed to be defective. 79. (1) Where it appears to the Jal Sansthan that there are reasonable grounds for believing that a private sewer or cess-pool is in such condition as to be prejudicial to health or to be a nuisance or that a private sewer communicating directly or indirectly with a sewer of the Jal Sansthan is so defective as to admit sub-soil water or grit or other material it may examine its condition and for that purpose may apply any test, not being a test by water under pressure, and if it deems it necessary, open the ground.

(2) (a) If on examination the sewer or cess-pool is found to be in proper condition, the Jal Sansthan shall as soon as possible, reinstate any ground which has been opened by it and determine and pay compensation for the damage caused by it.

(b) If on the other hand, the sewer or cess-pool so examined is found to be defective, the Jal Sansthan may forthwith stop its functioning or disconnect it from the sewer of the Jal Sansthan, or require the owner or occupier to take remedial action as directed and within a time specified, by the Jal Sansthan; and in any such event the Jal Sansthan may recover the cost incurred by it from the owner or occupier, as the case may be.

(3) In case of dispute as to the sufficiency of the amount so determined, the Jal Sansthan shall refer the dispute to the Nigam whose decision thereon shall be final.

Prohibition of certain acts. 80. No person shall—

(a) wilfully obstruct any person acting under the authority of the Jal Nigam or a Jal Sansthan under this Chapter in setting out the lines of any works or pull up or remove any pillar, post or stay fixed in the ground for the purpose of setting out lines of such work or deface or destroy any works made for the said purpose; or

(b) wilfully or negligently break, injure, turn on, open, close, shut-off or otherwise interfere with any lock, valve, pipe or other works or apparatus belonging to the Nigam or a Jal Sansthan and pertaining to its functions under this Chapter; or

(c) unlawfully obstruct the flow of, or flush, draw off or divert or take sewage from any work belonging to the Nigam or a Jal Sansthan; or

(d) obstruct any officer or other employee of the Nigam or Jal Sansthan in discharge of his duties under this Chapter or refuse or wilfully neglect to furnish him with the means necessary for the making of any entry, inspection, examination or enquiry thereunder in relation to any sewage works.

81. (1) Any officer of the Nigam or a Jal Sansthan authorised by it in that behalf may, with or without assistants, or workmen, enter into or upon any premises in order— Power of entry, survey, etc.

- (a) to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;
- (b) to take level;
- (c) to dig or bore into the sub-soil;
- (d) to set out boundaries and intended lines of work;
- (e) to mark such levels, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or
- (f) to do any other thing necessary for the purposes of this Act or any rule or regulation or bye-laws:

Provided that—

- (i) no such entry into a building shall be made between sun-set and sun-rise;
- (ii) no dwelling house or place shall be so entered, except with the consent of the occupier thereof, without giving the occupier at least twenty-four hours notice of the intention to make such entry;
- (iii) reasonable opportunity and facility shall be allowed to the women occupying any part of a dwelling house to withdraw; and
- (iv) due regard shall, so far as feasible, be had to the social and religious usages of the occupants of the premises, entered into.

(2) Whenever any officer of the Nigam or a Jal Sansthan authorised under sub-section (1) enters into or upon any premises in pursuance of that sub-section he shall, at the time of such entry pay or tender payment for the damage, if any, to be caused by any act as aforesaid and in case of dispute as to the sufficiency of the amount of compensation, such dispute shall in the case of the Nigam be referred to the Chairman of the Nigam and in the case of a Jal Sansthan be referred to the Chairman of the Jal Sansthan.

(3) When any person is entitled to enter into or upon any premises in exercise of the powers under sub-section (1) he may also enter in similar manner into or upon any adjoining premises for any work authorised by or under this Act or for the purpose of depositing therein any soil, grindstone or other materials or for obtaining access to such work or for any other purposes connected with the execution of the same.

(4) It shall be lawful for any officer authorised in this behalf by the Nigam or a Jal Sansthan to make any entry into any place to open or cause to be opened any door, gate or other barrier—

(a) if he considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry; and

(b) if the owner or occupier is absent or being present refuses to open such door, gate or barrier.

(5) The officer so authorised shall, in exercise of any power conferred by sub-section (4) do as little damage as may be possible and compensation for such damage shall be payable by the Nigam or a Jal Sansthan, as the case may be, to the owner or occupier of such premises or to both, and in case of any dispute as to the sufficiency of the amount of compensation, the dispute shall in the case of the Nigam be referred to the Chairman of the Nigam and in the case of a Jal Sansthan be referred to the Chairman of the Jal Sansthan.

82. (1) Any officer authorised by the Nigam or a Jal Sansthan in that behalf may have any tank, pool or well, cleaned or disinfected after notices to the owner or occupier, if any, when it appears that such cleaning or disinfection will prevent or check the spread of any dangerous disease. Power to disinfect tanks, pools and wells.

(2) The cost of cleaning or disinfection referred to in sub-section (1) shall be recoverable from the owner or occupier of such tank, pool or well.

CHAPTER IX

Penalties and Procedure

Cognizance of offences. 83. No court shall take cognizance of any offence under this Act except on the complaint of the Nigam or a Jal Sansthan, as the case may be, made within six months next after the commission of the offence.

General penalty. 84. Whoever contravenes the provisions of this Act or of any rule or bye-laws made thereunder or fails to comply with any notice, order or requisition issued under this Act or any rule or bye-laws made thereunder, shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees and with further fine which may extend to fifty rupees for every day on which such contravention or failure continues after the first conviction.

Offences by companies. 85. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any Director, Manager, Secretary or other officer of the Company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(a) 'Company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and

(b) 'Director' in relation to a firm, means partner in the firm.

Power to arrest person refusing to give his name and address. 86. (1) Where any person in the presence of any officer of the Nigam or Jal Sansthan authorised by it by general or special order in that behalf has committed or has been accused of committing or who is reasonably suspected by such officer of committing any offence punishable under this Act refuses or fails on demand of such officer to give his name and address or gives a name or address which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer without a warrant in order that his name or address or both may be ascertained.

(2) The provisions of sub-sections (2) and (3) of section 42 and of sections 43, 48, 56, 57, 58 and 59 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall *mutatis mutandis* apply in relation to any arrest made under sub-section (1) as they apply to an arrest made under sub-section (1) of section 42 thereof.

Composition of offences. 87. (1) The Managing Director or the General Manager as the case may be, or any other officer of the Nigam or a Jal Sansthan authorised by it by general or special order in that behalf may, either before or after institution of the proceedings, compound any offence punishable under this Act on such terms, including payment of composition fee, as he may think fit.

(2) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence so compounded.

Duties of police officers and employees of local bodies. 88. It shall be the duty of all police officers and of employees of the local body within whose local area any offence punishable under this Act, is committed or attempted to be committed to give immediate information to the Jal Sansthan or to officers of the Jal Sansthan authorised in this behalf, of the commission of or, as the case may be, of the attempt to commit such offence and to assist all such officers in the exercise of their authority under this Act.

CHAPTER X

External Control

89. (1) In the discharge of its functions, the Nigam shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the State Government. Directions to the Nigam on questions of policy.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under sub-section (1), the decision of the State Government shall be final.

90. (1) The Nigam shall, as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government before such date and in such form as the State Government may direct, a report giving an account of its activities during the previous financial year, and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Nigam in the next financial year, and the State Government shall cause every such report to be laid before the State Legislature as soon as may be after it is received by the State Government. Annual report statistics, returns and other information by the Nigam.

(2) The Nigam shall furnish to the State Government at such times and in such form and manner as the State Government may direct such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed or existing activities of the Nigam or any other matter under the control of the Nigam as the State Government may, from time to time, require.

91. (1) In the discharge of its functions, a Jal Sansthan shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the Nigam. Direction to a Jal Sansthan on questions of policy.

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Nigam may issue a direction under sub-section (1), the decision of the State Government shall be final.

92. (1) A Jal Sansthan shall, as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the Nigam before such date and in such form as the Nigam may direct, a report giving an account of its activities during the previous financial year, and the report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Jal Sansthan in the next financial year. Annual reports statistics, returns and other information by a Jal Sansthan.

(2) A Jal Sansthan shall furnish to the Nigam at such times and in such form and manner as the Nigam may direct such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed or existing activities of the Jal Sansthan or any other matter under the control of the Jal Sansthan as the Nigam may, from time to time, require.

CHAPTER XI

Miscellaneous

93. (1) All local bodies shall render such help and assistance and furnish such information to the Nigam or a Jal Sansthan and shall make available for the inspection and examination of (and if necessary, preparation of copies from) such records, maps, plans and other documents, as it may require to discharge its function under this Act. Duty of local bodies to assist.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every local body shall on demand make available at cost certified copies or extracts from assessment lists and other relevant documents in connection with assessment of annual value of premises and levy of taxes, fees and charges.

(3) Without prejudice to other provisions of this Act and notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force under which any local body is constituted, the State Government may give to any local body such direction as in its opinion may be necessary or expedient for enabling the Nigam or a Jal Sansthan to perform its functions, under this Act, and thereupon it shall be the duty of the local body to comply with such directions.

94. In any case not otherwise expressly provided for in this Act the Nigam or a Jal Sansthan may pay reasonable compensation to any person who sustains damage by reason of the exercise of any power vested by or under this Act in the Nigam or a Jal Sansthan. General power to pay compensation.

Protection for acts done in good faith. 95. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government, the Nigam or a Jal Sansthan or a Chairman or other member of the Nigam or a Jal Sansthan or any officer or servant of the State Government or of the Nigam or a Jal Sansthan for anything which is in good faith done or purported or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, regulation or bye-laws made thereunder.

CHAPTER XII

Rules, Regulations and Bye-Laws

Power to make rules. 96. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules by carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the powers of the auditor under sub-section (3) of section 50;

(b) the procedure in respect of surcharge under section 51 including the provision of appeal, if any, in respect thereof;

(c) the procedure that may be followed by a Jal Sansthan or any other agency for assessment of the annual value under sub-section (3) of section 53 including the authentication and custody of assessment lists, the revision and duration of such lists, the amendment and alteration of such lists, and appeals in case of dispute in respect of assessment;

(d) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be, after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days, comprised in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Regulations.

97. (1) The Nigam and a Jal Sansthan may, with the previous approval of the State Government, make regulations, not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, for the administration of the affairs of the Nigam or a Jal Sansthan.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the summoning and holding of meetings of the Nigam or a Jal Sansthan, the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of persons necessary to form a quorum thereat;

(b) the powers and duties of the employees of the Nigam or a Jal Sansthan;

(c) the salaries and allowances and other conditions of service of employees of the Nigam or a Jal Sansthan other than employees employed on contract basis;

(d) the management of the property of the Nigam or a Jal Sansthan;

(e) the execution of contracts and assurances of property on behalf of the Nigam or Jal Sansthan;

(f) the limits up to which the Managing Director or the General Manager shall be competent to incur recurring or non-recurring expenditure in any financial year, without such expenditure being included in the statement under sub-section (1) of section 50;

(g) the maintenance of accounts and the preparation of balance-sheet by the Nigam or Jal Sansthan;

(h) the procedure for carrying out the functions of the Nigam or a Jal Sansthan under this Act;

(i) any other matter for which provision is to be or may be made in regulations.

(3) Until any regulations are made by the Nigam or a Jal Sansthan, as the case may be, under sub-section (1), any regulations which may be so made by it may be made by the State Government, and any regulations so made may be altered or rescinded by the Nigam or a Jal Sansthan in exercise of its power under sub-section (1).

98. The Nigam or a Jal Sansthan may with the previous approval of the State Government, make bye-laws consistent with this Act and the rules made thereunder, for carrying out the purposes of this Act in respect of any matter affecting the general public, and without prejudice to the generality of this power, such bye-laws may provide for—

Bye-laws.

(a) the terms and conditions for supply of water for domestic or other purposes ;

(b) the installation of meters or the transfer of their connection, and their use, maintenance, testing, disconnection and reconnection, the fees, the rent and other charges in respect thereof, including the furnishing of security by the consumer and matters connected therewith ;

(c) the fee to be paid for connection with a sewer of the Nigam or a Jal Sansthan and other terms and conditions for such connections ;

(d) any other matter for which provision is to be or may be made in bye-laws.

CHAPTER XIII

Transitory Provision and Repeal

99. (1) Any water tax or sewerage tax, by whatever name called, imposed by the local body concerned in respect of any local area for which a Jal Sansthan has been constituted under section 18 before the date of such constitution, hereinafter called the said date and any notification, notice, order, direction, rule, bye-law or form in relation to such tax or to the provision of water supply or sewerage services immediately before the said date including any assessment or order, or order for exemption or connection, disconnection or reconnection made or granted, or penalty imposed in respect of the owner or occupier of any premises, or any licence issued to a plumber, or any order made in connection therewith, under any provision of law applicable to the local body having jurisdiction over such area, and in force immediately before the said date shall continue in force until other provision or order is made or other proceedings or action taken under this Act by the Jal Sansthan concerned for imposition or assessment of such tax or for grant of such licence or connection or provision of such services, and any reference in such notification, notice, order, direction, rule, bye-laws, or licence to the local body concerned shall be construed as a reference to the Jal Sansthan concerned and in particular the proceeds of such taxes and fees shall go into the fund of the Jal Sansthan concerned instead of the fund of the local body concerned.

Transitory Provision.

(2) During the period between the commencement of this Act and August 15, 1976, any rule, regulation or bye-law may be made under section 96, section 97 or section 98, as the case may be, with retrospective effect to a date not earlier than May 20, 1975.

(3) It shall be deemed to have come into force on May 20, 1975.

100. Except as provided in section 99, 100 and from the day on which a Jal Sansthan is constituted comprising—

Repeal and amendment.

(a) any city as defined in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959—Sections 114 and 115 and Chapters X, XI, XIX, XXIII and XXV of that Adhiniyam;

(b) any Municipality as defined in the United Provinces Municipalities Act, 1916—Sections 7 and 8 and Chapters V, VII and IX of that Act ;

(c) any Town Areas as defined in the United Provinces Town Areas Act, 1914—Sections 3, 14 and 25 and Chapters V and VI of that Act ;

(d) any Notified Area as defined in the United Provinces Municipalities Act, 1916—the provisions of that Act referred to in clause (b) as modified and extended in respect of that Notified Area ;

P. Act of
P. Act of
P. Act of
P. Act of

(e) any khand as defined in the Uttar Pradesh Kshetra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, or to the rural area of any district, as the case may be—Chapters III, VII, IX and XIV of that Adhiniyam ;

(f) any area comprised in the jurisdiction of a Gaon Sabha as defined in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947—the provisions of Chapters IV and V of that Act ;

shall have effect as if the powers, duties and functions assigned by this Act to a Jal Sansthan including the power to hold any property for purposes of the said duties and functions, were excluded from the powers, duties and functions of the Mahapalika, the Municipal Board, the Town Area Committee, the Notified Area Committee, the Kshetra Samiti, the Zila Parishads or the Gaon Sabha, as the case may be.

Water
and
Fund.

Supply
sewerage

101. (1) Notwithstanding anything contained in the provisions of the enactments referred to in section 100, every local body having water supply or sewerage services or both shall have a separate fund to be called the "Water Supply and Sewerage Fund" which shall be deemed to be a local fund and to which shall be credited all moneys received by such local body for development, operation, maintenance and management of such services and also all revenues received in connection with the rendering of the aforesaid services.

(2) The moneys credited to the aforesaid fund shall be applied exclusively for the purpose of water supply or sewerage services or both, as the case may be.

Removal of diffi-
culties.

102. (1) The State Government may for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactments referred to in section 100 to the provisions of this Act by order, direct that the said enactments shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification addition or omission, not affecting the substance, as it may deem, to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Repeal
saving.

and

103. (1) The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Second) Ordinance, 1975 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act had come into force on May 20, 1975.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

U. P. Act
no. XXIII
of 1961

U. P. Act
no. XXVI
of 1947

U. P. Ordinance
no. 10 of 1975

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE
(AMENDMENT) ACT, 1997

(U. P. ACT No. 16 OF 1998)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 1997.

2. After section 100 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, the following section shall be inserted, namely :—

“100-A (1)—Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law for the time being in force, where the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification dissolve a Jal Sansthan constituted under this Act with effect from such date as may be specified in the notification.

(2) On and from the date a Jal Sansthan is dissolved under sub-section (1),—

(a) all properties and assets vested in and all dues recoverable by the Jal Sansthan shall vest in, and may be realised by such local body as exercised jurisdiction in the local area immediately before the constitution of such Jal Sansthan hereinafter referred to as the local body;

(b) all rights, liabilities and obligations of the Jal Sansthan, whether arising out of any contract or otherwise pertaining to Jal Sansthan shall be the rights, liabilities and obligations of the local body;

(c) all suits and legal proceedings instituted or which might, but for such vesting and transfer, have been instituted by or against a Jal Sansthan may be continued or instituted, as the case may be, by or against the local body;

(d) all existing water and sewerage services rights, liabilities and obligations thereto, mentioned in section 33 of the Act, vested in or belonging to a Jal Sansthan, shall vest in and stand transferred to the local body and the provisions of section 33 shall, *mutatis mutandis*, apply to such transfer to or vesting in the local body as they applied on transfer to or vesting in the Jal Sansthan;

(e) Save as otherwise provided, every employees appointed under section 27 of this Act or absorbed in the service of Jal Sansthan under sub-section (1) of section 38 of the Act shall become employee of the local body and the provisions of section 33 shall, *mutatis mutandis*, apply in respect of his transfer to the service of the local body as they applied in respect of transfer from local body to the Jal Sansthan;

(f) employees governed by the Uttar Pradesh Palika Jal Kai and Jal Sansthan Abhiyantran (Kendriyat) Sewa Niyamawali, 1986 or working on deputation in Jal Sansthan shall continue to be members of their parent service and shall revert to the said service;

(g) the enactments referred to in section 100 shall continue to have effect in the same manner as they applied before the constitution of the Jal Sansthan.”

Short title

Insertion of new section 100-A in U. P. Act No. 43 of 1975

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Vishesh Sachiv.

पृष्ठ 100

में किसी
र का यह
समीचीन
ठेत किसी
से दिनांक

ने जाने के

कीर उसके
ल संस्थान
हो, जिसे
बसूज किये

5, चहिये
, स्थायी

1 संस्थान
अन्तरण न
बहुद प्रथा-

जल और
किसी जल
होते और
न परिवर्तन
न होने पर
या निहित

रा 27 के
अधीन जल
संचारी हो
के अन्तरण
जस प्रकार
बे;

ल संस्थान
होते हों या
सदस्य बने

पर प्रभावी

ले,
द्विपाठी,
सचिव।

India,
of the
m, 1997
gislature

No. 783 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 16-1999

Dated Lucknow, March 26, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Sewar Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 25, 1999.

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE
(AMENDMENT) ACT, 1999
(U. P. ACT No. 16 OF 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth-Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 1999.

2. In section 52 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) In sub-section (2), for the words “shall be levied” the words “shall, in a local area other than a city, be levied” shall be substituted.

(b) After sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely :—

“(3) The taxes mentioned in sub-section (1), shall, in a city, be levied at such rate which in the case of water tax shall not be less than 7.5 percent and not more than 12.5 percent and in the case of sewerage tax shall not be less than 2.5 percent and not more than 5 percent of the annual value of the premises determined under the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959, as the State Government may, from time to time, after considering the recommendation of the Nigam, by notification in the Gazette, declare.”

(c) after sub-section (3) as so inserted the following explanation shall be inserted, namely :—

“Explanation :—for the purposes of this section—

(i) the expression “city” shall have the meaning assigned to it in the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959; and

(ii) the expression “sewerage tax” shall have the same meaning as the “drainage tax” has been assigned in the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959.”

3. In section 53 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words and figure “section 52”, the words and figures “sub-section (2) of section 52” shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words and figure “levy of taxes mentioned in section 52”, the words and figures “levy of taxes under sub-section (2) of section 52” shall be substituted.”

Amendment of
section 53

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

No. 1610 (2)XVII-V-1-1 (KA)-17-2002

Dated Lucknow, September 2, 2002

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Sewer Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 31, 2002 :—

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE

(AMENDMENT) Act, 2002

(U.P. Act no. 2 of 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2002.

Short title and
Commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on June 27, 2002.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act,—

Amendment of
section 4 of U.P.
Act no. 43
of 1975

(i) in sub-section (2), for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) a Managing Director to be appointed by the State Government”;

(ii) after sub-section (2) the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2-A) Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Control Over Public Corporations Act, 1975 or in any direction issued thereunder, the member referred to in clause (a) of sub-section (2) shall be appointed from amongst the persons possessing such qualifications and experience and in accordance with such manner as may be prescribed.”

3. Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, the provisions of the principal Act as amended by this Act, shall apply also in respect of a vacancy in the post of Managing Director, existing from before the commencement of this Act.

Provisions
with respect to
existing
vacancy

*Explanation:—*The expression “Managing Director” shall have the meaning assigned to it in the principal Act.

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 2002 is hereby repealed.

U. P.
Ordinance
no. 9 of
2002

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

A.B. SHUKLA,

Pranukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U. P. Act no. 43 of 1975) provides for the constitution of the Uttar Pradesh Jal Nigam and the appointment of the Chairman and the members thereof. Clause (a) of sub-section (2) of the said section empowered the State Government to appoint a qualified engineer having experience in administration and water supply and sewerage works as the Managing Director but neither the qualifications and the manner of appointment to the post of the Managing Director was provided in the said Act nor the State Government was specifically empowered to make rules with respect thereto. It was, therefore, decided to amend the said Act to empower the State Government to prescribe qualifications, experience and the manner of appointment of the Managing Director notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Control Over Public Corporations Act, 1975 or in any direction issued thereunder.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 2002 (U. P. Ordinance no. 9 of 2002) was promulgated by the Governor on June 27, 2002.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पाँ
औ
प्रक



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018

पौष 3, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 2574/79-वि-1-18-1(क)-24-18

लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 05 नवम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
43 सन् 1975 की
धारा 7 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी और उसे दिनांक 28 जून, 2017 से निकाला गया समझा जायेगा।

निरसन और
व्यावृत्ति

3-(1) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या
13 सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य एवं कारण

जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के विकास तथा विनियमन के लिये निगम, प्राधिकरणों तथा संगठनों की स्थापना का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2007) द्वारा उसमें धारा 7 की उपधारा (3), यह स्पष्ट करने के लिये बढ़ाई गयी है कि निगम को समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकरण न कि राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त कम्पनी या निगम समझा जायेगा और निगम के अध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं समझा जायेगा तथा उसके पास निगम का कोई प्रबन्धकीय कृत्य नहीं होगा।

उक्त उपबन्ध के कारण उक्त अधिनियम सन् 1975 में उपबन्धित शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का सम्पादन करना व्यवहारिक रूप में कठिन हो गया है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम सन् 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) को निकालने के लिये उक्त अधिनियम सन् 1975 में संशोधन किया जाये।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2018 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
संजय खरे,
प्रमुख सचिव।

No. 2574(2)/LXXIX-V-1-18-1(Ka)24-18

Dated Lucknow, December 24, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Seewar Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 46 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 2018 :-

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE
(AMENDMENT) ACT, 2018
(U.P. ACT NO. 46 OF 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

furtherto amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|---|---|
| 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2018. | Short title and commencement |
| (2) It shall be deemed to have come into force on November 5, 2018. | |
| 2. In Section 7 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, hereinafter referred to as the principal Act, sub-section (3) shall be omitted and be deemed to have been omitted with effect from June 28, 2017. | Amendment of section 7 of U.P. Act no. 43 of 1975 |
| 3-(1) The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 2018 is hereby repealed. | U.P. Ordinance no. 13 of 2018 |
| (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times. | |

Repeal and saving

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P. Act no. 43 of 1975) has been enacted to provide for the establishment of a Corporation, Authorities and Organisations for the development and regulations of water supply and sewerage services.

By the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2007 (U.P. Act no. 5 of 2007) sub section (3) of section 7 has been inserted to clarify that the Nigam shall for all purposes be deemed to be a local authority and not a company or corporation owned by the State Government and the office of the chairman of the Nigam shall not be deemed to be an office of profit and shall have no managerial function of the Nigam.

Due to the said provision, it has become practically difficult to exercise the powers and perform the duties provided in the said Act of 1975. It has therefore, been decided to amend the said Act of 1975 to omit the sub section (3) of section 7 of the said Act of 1975.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Ordinance, 2018 (U.P. Ordinance no. 13 of 2018) was promulgated by the Governor on November 5, 2018.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
SANJAI KHARE,
Pramukh Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 अगस्त, 2019

श्रावण 16, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1467/79-वि-1-19-1(क)-15-19

लखनऊ, 7 अगस्त, 2019

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे नगर विकास अनुभाग-3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन)

अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 43 सन् 1975
की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा
4 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे,
अर्थात् :-

(क) "एक प्रबन्ध निदेशक, जो प्रशासकीय अनुभव और जल सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का भी अनुभव रखने वाला अर्ह अभियन्ता हो अथवा राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी का भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ;

(कक) राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक अथवा पेयजल और सीवर-व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का अनुभव सहित, मुख्य अभियन्ता स्तर के, तीन अभियन्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे,"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975), जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के विकास और विनियमन हेतु एक निगम, प्राधिकरणों तथा संगठनों की स्थापना किये जाने का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में प्रशासनिक अनुभव और जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का भी अनुभव रखने वाले किसी अर्ह अभियन्ता की नियुक्ति का उपबन्ध है। जल निगम की कार्य प्रणाली को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि यह उपबन्ध करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का कोई अधिकारी भी प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सके और संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के तीन पद सृजित किये जायें।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1467(2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)15-19

Dated Lucknow, August 7, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jal Sambharan Tatha Seewar Vyavastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2019. The Nagar Vikas Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE (AMENDMENT)
ACT, 2019

(U.P. Act No. 14 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

furth^r to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2019. Short title

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, in sub-section (2) for clause (a) the following clauses shall be substituted, namely :- Amendment of section 4 of U.P. Act no. 43 of 1975

“(a) a Managing Director who shall be a qualified Engineer having administrative experience and also the experience of water supply and sewerage work; or an officer of Indian Administrative Service in the rank of Secretary to the State Government, to be appointed by the State Government;

(aa) Three Joint Managing Directors : of Indian Administrative Service in the rank of Special Secretary of the State Government or three Engineers of Chief Engineer level with experience in drinking water and sewerage work to be appointed by the State Government;”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 (U.P. Act no. 43 of 1975) has been enacted to provide for the establishment of a Corporation, authorities and organisations for the development and regulation of water supply and sewerage services. Section 4 of the said Act provides for appointment of a qualified engineer having administrative experience and also the experience of water supply and sewerage work. With a view to ensuring the working of the Water Corporation more effectively it has been decided to amend the said section to provide that an officer of Indian Administrative Services may also be appointed to the post of Managing Director and to create three posts of Joint Managing Director.

The Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage (Amendment) Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 194 राजपत्र-(हिन्दी)-2019-(575)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 71 सा० विधायी-2019-(576)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।